खण्ड-8 संख्या-16

दशम

बिहार विधान-सभा

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग-2 कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित)

शुक्रवार तिथि 17 जुलाई, 1992 ई०।

सत्यमेव जयते

अतः अविलंब इस जानलेवा महामारी को रोकने का उपाय किए जाने हेतु मैं आपके माध्यम से सरकार तथा माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

(च) सड़क की मरम्मती :

डा0 शकील अहमदः- अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिला के बिस्की प्रखण्ड को अनुमंडल मुख्यालय बेनीपट्टी से जोड़ने वाली आर०ई०औ० की एक मात्र सड़क बिस्फी बेनीपट्टी वाया तीसी नरसाम पथ पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गयी है। इस खराब सड़क के कारण कई छोटी-मोटी दूर्घटनाएं हो चुकी हैं। कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। मैं इस पथ की शीघ्र मरम्मती के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।

अध्यक्ष :- अब सभा की कार्यवाही 2.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।

(अन्तराल)

(इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय, ने आसन ग्रहण किया)

वित्तीय कार्यः वित्तीय वर्ष १९९२-९३ के आय व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांग पर मतदान-लोक निर्माणः

अध्यक्ष :- अब वित्तीय कार्य लिये जायेंगे। माननीय मंत्री, प्रभारी , भवन निर्माण एवं आवास विभाग अपनी मांग को प्रस्तुत करें।

वित्तीय कार्य

श्री राम जतन सिन्हा:- अध्यक्ष महोदय, मेरी नियमापति है। यह जो हमलोगों को मिला है, उसमें है मंत्री, लोक निर्माण करेंगे। ये कैसे करेंगे?

श्री ब्रज किशोर नारायण सिंह:- महोदय, गलत परिपाटी कायम नहीं किया जाय

श्री राम जतन सिन्हा:- अध्यक्ष महोदय, आपके सचिवालय से दो किताब बंटी है, पथ निर्माण विभाग और भवन निर्माण एवं आवास विभाग। मंत्री, लोक निर्माण पेश करेंगे। भवन निर्माण एवं आवास विभाग माईनर डिपार्टमेंट है। यह बजट मंत्री, लोक निर्माण को प्रस्तुत करना है। लोक निर्माण, भवन निर्माण, आवास विभाग तीनों में से कोई एक मंत्री बजट प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, जिनको मन चाहे। नियम ऐसा है कि जो मेजर डिपार्टमेंट के हैं, वही पेश कर सकते हैं। मैंने जो आपति उठायी है, यह कितनी नियमानुसार है, यह आप देखें। जो मेजर डिपार्टमेंट होगा और सभा सचिवालय से जो सर्कुलेट होगा, वही मंत्री बजट प्रस्तुत करेंगे। यह किसी श्रेणी में नहीं आते हैं।

श्री उपेन्द प्रसाद वर्मा:- प्रोफेसर साहब (श्री राम जतन सिन्हा) से अनुरोध है कि हमारी बात भी सुन लें। विधान सभा से जो किताब बंटी है वह राज्यपाल महोदय, की सिफारिश पर हैं।

दूसरा राज्यपाल की तरफ से अधिकृत होकर आता है। यहां जो डिमांड किया जायेगा, उसमें लिखा रहता है कि यह मांग राज्यपाल की अनुमति से पेश किया जाता है, तो जैसा राज्यपाल महोदय का है, उसी के अनुरूप पेश कर रहे हैं।

श्री राम जतन सिन्हा:- अध्यक्ष महोदय, पृष्ट 65 में आप देखिये, जो कार्य संचालन नियमावली है और उसमें उपस्थापित करने के लिये जो नियम है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अध्यक्ष सबसे ऊपर हैं और वे सुझाव करेंगे कि कौन विभाग और कौन-कौन सी मांग सबसे पहले उपस्थापित की जायेगी" आपने जो निर्णय लिया है, लोक निर्माण विभाग की ओर से बजट उपस्थापित किया जायेगा। ये माननीय मंत्री, संसदीय कार्य बताने की कृपा करेंगे कि कौन लोक निर्माण विभाग , कौन भवन निर्माण और कौन आवास विभाग के हैं? आपके सचिवालय द्वारा एक सूची कल बंटी थी, उसमें कौन मंत्री को कौन सा विभाग है, लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि श्री राम विलास मिश्र, भवन निर्माण विभाग के, श्री नलिनी रंजन सिंह, आवास विभाग के और श्री इलियान हुसैन पथ निर्माण विभाग के हैं, सड़क और पूल के मंत्री हैं। लोक निर्माण विभाग के कोई मंत्री नहीं हैं। इसलिये कोई बजट उपस्थापित नहीं कर सकते हैं। मेरा अनुरोध है, अध्यक्ष महोदय, कि नियम का कड़ाइ से अनुपालन हो, जो आपका आदेश है, उसका कड़ाई से पालन हो।

अध्यक्ष महोदय, कल जैसी घटना इतिहास में कभी नहीं हुई होगी। अभी लोक सभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस चल रही है। उसमें इंटरवेन करना था अर्जुन सिंह जी को, उन्होंने पहले जवाव दिया, फिर प्रधान मंत्री जवाब देंगे और तब वोट होगा। कल मुख्यमंत्री महोदय, ने इंटरवेन किया और फिर राज्य मंत्री ने जवाब दिया। आज भी मुख्यमंत्री को कहिये कि स्थिति स्पष्ट करें, लोक निर्माण विभाग के कोई मंत्री नहीं हैं। हम सत्ता पक्ष से भी निवेदन करेंगे कि नियम और कानून का पालन हो, गलत ढंग से बहुमत

नहीं प्रदर्शित किया जाय, लोक तंत्र की हत्या नहीं करें।

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा :- महोदय, लोक निर्माण विभाग तीन भागों में बंटा हुआ है, पथा निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग और आवास विभाग। इन तीन विभागों में लोक निर्माण बंटा हुआ है। आपके कार्यालय से जो छपा हुआ है, उसमें भी है कि प्रभारी मंत्री, भवन इसको रखेंगे।

और यह राज्यपाल के द्वारा अधिकृत किया गया है कि भवन मंत्री रखेंगे, उसी के अनुरूप किया जा रहा है।

श्री ब्रज किशोर नारायण सिंह :- अध्यक्ष महोदय, नियम और परिपाटी को देखते हुए आप निर्णय लीजिए क्योंकि आप संरक्षक हैं। जिस तरह सरकार गलत कार्यों को कर रही है उस पर आप नियंत्रण रखिये।

श्री राम विलास मिश्र :- अध्यक्ष महोदय, पथ निर्माण या भावन निर्माण के मंत्री रखें, इसमें कोई बात नहीं है लेकिन जहां तक नियम की बात है, गत सत्र में भी इस तरह की आपति उठायी गयी थी। लेकिन उस पर आपका नियमन हुआ और भवन निर्माण एवं आवास मंत्री ने प्रस्ताव रखा था।

डा0 शकील अहमद :- अध्यक्ष महोदय, सदन को कुछ देर के लिए स्थगित करके पुरानी प्रोसिंडिग निकाल कर देख लीजिए।

श्री राजो सिंह :- अध्यक्ष महोदय, यह जो मांग सं०-21 है, इसमें आपने हेडिंग तय किया है "लोक निर्माण विभाग" । हमारे मित्र संसदीय कार्य मंत्री उपेन्द्र बाबू ने कहा कि यह राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है, अगर राज्यपाल की सिफारिश पर आता, अध्यक्ष महोदय, तो संख्या 400

में है, जो पहला है, उसमें है कि मंत्री प्रभारी भवन निर्माण एवं आवास विभाग, प्रस्ताव करेंगे। दूसरा भी देखिये, मांग संख्या - 417 इसमें लिखा हुआ है अध्यक्ष महोदय, मंत्री प्रभारी, भवन निर्माण एवं आवास विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "आवास" के संबंध में और यंह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफ़ारिश पर किया गया है। एक दूसरा है 430 जिसमें है कि मंत्री प्रभारी पथ निर्माण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "सड़के और पुल" के संबंध में और यह प्रसताव भी राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है। यह तीन तरह का प्रस्ताव है।

(श्री राम विलास मिश्र, मंत्री, भवना निर्माण एवं आवास खड़े हुए।)

कोई हर्ज नहीं है, आप सुनिये, यह पाँच बजे का समय नहीं है। आप क्यों उतावले हैं, क्यों चिंतित हैं?

श्री राम विलास मिश्र :- इसके लिए नहीं चिन्तित हैं, नियम के लिए चिन्तित हैं।

श्री राजो सिंह :- जब हम सारे लोग अपोज कर रहे हैं तो उस पर आपका जवाब होगा और रूलिंग होगी स्पीकर की, जो रूलिंग स्पीकर का होगा, उसको हम सब लोग मानेंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि जिस तरह आप कट मोशन को लेते हैं और आपकी रूलिंग होती है काफी मेम्बर कट मोशन देते हैं और जो व्यापक होता है उसी को आप मुभ करने के लिए बोलते हैं। हमारा कहना है कि लोक निर्माण विभाग तीन हिस्सों में बंटा हुआ है, भवन निर्माण, पथ निर्माण और आवास सबसे बड़ा लोक निर्माण विभाग है। बजट का जो प्रोविजन है, जो कागज बंटी है, उसमें आवास का

कितने का बजट है, पथ निर्माण का कितने का बजट है और भवन निर्माण का कितने का बजट है, इनको राइट था भवन निर्माण का। एक तो हमारा आब्जेक्शन है कि लोक निर्माण विभाग अब न यहां है और न भारत सरकार में है। अब पथ निर्माण विभाग है, आवास विभाग है और भवन निर्माण विभाग है। लेकिन लोक निर्माण का हेड जो बजट में प्रोविजन किया गया है, वह गलत है अध्यक्ष महोदय, हमको एतराज नहीं है जिस किसी से चाहे ये मूभ करा सकते है। इनकी ज्वायंट रेस्पौंसिबिलीटी है। लेकिन प्रोविजन के बाद भवन एवं आवास मंत्री को मुभ करने का राइट नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यही हमारा आब्जेकसन है। आप सरकार का सुन लीजिए और जो रूलिंग देना चाहते हैं, दीजिए।

श्री राम जतन सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, अभी राजो बाबू ने जो कहा, उसका आंशिक संशोधन करते हुए मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ। माननीय मंत्री ने कहा कि लोक निर्माण विभाग तीन विभाग में बंट गया है, लेकिन मेरा कहना है कि लोक निर्माण विभाग कोई विभाग नहीं है। पृष्ठ-3 को देखा जाए। इसमें है कि मंत्री प्रभारी पथ निर्माण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "सड़कें और पुल" के संबंध में । लेकिन लोक निर्माण विभाग है ही नहीं और संसदीय कार्य मंत्री सदन में गलतबयानी कर सदन को गुमराह कर रहे हैं। मेरा कहना है कि भवन निर्माण नाम का कोई विभाग नहीं है इसलिए ये बजट पेश नहीं कर सकते हैं।

श्री राम विलास मिश्र :- अध्यक्ष महोदय, संकल्प संख्या- 878 दिनांक 16 मार्च, 82 द्वारा भवन निर्माण विभाग एक स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में गठित किया

गया जिसके अंदर आवास विभाग भी था इसलिए इसका नाम भवन निर्माण एवं आवास विभाग रखा गया है।

अध्यक्ष :- पहले पी०डब्लू०डी० होता था, शुरू में आजादी के बाद पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट होता था और उस वक्त पी०एच०ई०डी० भी अलग नहीं था, पी० डब्लू०डी० में ही हुआ करता था।

(व्यवधान)

डा0 शकील अहमद :- और आज भी ये पी०डब्लू०डी० को ढो रहे हैं।

अध्यक्ष :- जिस नियम का हवाला माननीय सदस्य राम जतन बाबू ने दिया........ ...

श्री राम जतन सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, तीसरे पृष्ठ में "सड़कें और पुल" हेड है। लेकिन महोदय, कलेक्टिव रेस्पौंसिबिलिटी में हम किसी से करा सकते हैं। लोक निर्माण विभाग का बजट 59 करोड़ का है और मेजर डिपार्टमेंट है सड़कें और पुल तो जो मेजर डिपार्टमेंट हो उसको दें या मुख्यमंत्री करें। लेकिन विधान सभा में भवन निर्माण एवं आवास नाम का कोई विभाग नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हम कहेंगे कि यहां सरकार के दबाव पर बार-बार अपने अंहकार में विधान सभा को ये लोग रौंदना चाहते हैं। विधान सभा रहेगा, तभी ये लोग रहेंगे। ये सत्ता के मद में हैं, इसकी इजाजत कभी नहीं मिलनी चाहिए।

अध्यक्षः- माननीय सदस्य राम जतन सिन्हा जी ने बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 167 का हवाला दिया है "बजट

का उपस्थापन" वार्षिक वित्त विवरण अर्थात हरेक वित्त वर्ष के संबंध में राज्य के प्राक्कलित आय-व्यय का विवरण (इस नियमावली में आगे "बजट" के रूप में निर्दिष्ट) सभा में पूर्ववर्त्ती वित्त वर्ष की उस तिथि को उपस्थापित किया जायेगा जो राज्यपाल नियत करें।"

श्री राम जतन सिन्हाः- अध्यक्ष महोदय, यह तो मार्च में हो गया, यह बजट के बारे में है, मांग के बारे में नहीं है।

अध्यक्ष :- आपने इसी नियम को न रखा?

श्री राम जतन सिन्हाः- अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 21-22-23 प्रस्तुत कर रहे हैं, बजट तो मार्च में उपस्थापित कर दिया, अभी वे मांग प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्री बच्चा चौबेः- अध्यक्ष महोदय, सरकार गलती कर रही है, इसको रोकिये।

अध्यक्ष :- सरकार हो अब सदन हो या आप हों, गलती से एकदम ऊपर तो इस दुनिया में कोई नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष :- शांति-शांति। हमने अपनी रूलिंग दे दी। चूंकि यह राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है, इसलिए इसको पेश करने में कोई आपति नहीं है। हम एक बात कहना चाहते हैं कि क्या हर मामले में दो फिल्ड में बंट जाना जरूरी है। बातचीत नियम के बारे में हो रही है, बातचीत नियमावली के बारे में हो रही है। मान लीजिए किसी माननीय सदस्य के दिमाग में कुछ बात आ गयी उन्होंने इस बात को उठाया। इस पर इतनी जोर से हमला

बोलना जरूरी है?

श्री अवध बिहारी चोधरी :- अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यगण विधान-सभा में आये हैं। आज पथ निर्माण विभाग का डिमांड पेश होगा। यदि सारा समय इसी में लगा देंगे तो माननीय सदस्य अपने क्षेत्र की बात कह नहीं पायेंगे। अपने क्षेत्र की समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट नहीं कर पायेंगे। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आप कार्यवाही को आगे बढ़ाए।

श्री राम विलास मिश्र :- मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

"लोक निर्माण के संबंध में 31 मार्च 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए 59,46,25,000 (उनसठ करोड़, छियालीस लाख, पच्चीस हजार) रुपये से अधिक राशि प्रदान की जाये।"

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

अध्यक्ष :- इस पर जेनरल नेचर के जो कटौती प्रस्ताव है, जिस पर सभी माननीय सदस्य विचार विमर्श कर सकते हैं, उसी को मैं लेता हूँ। इसमें श्री राजो सिंह एवं 10 अन्य माननीय सदस्यों श्रीमती ज्योति, श्री सुशील कुमार मोदी, श्री राम जतन सिन्हा, श्री यमुना सिंह, श्री विजय शंकर दूबे, श्री ब्रजकिशोर नारायाण सिंह, श्री रघुनाथ झा, श्री प्रेम कुमार एवं श्री देवनन्दन प्रसाद के कटौती प्रस्ताव क्रमांक 406-416 व्यापक है। माननीय सदस्य श्री राजो सिंह अपना कटौती प्रस्ताव मुभ करें।

(व्यवधान)

श्री रमेन्द कुमारः- अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य राजो बाबू अभी बोल रहे थे कि लोक निर्माण विभाग ही नहीं है। अगर उनकी बात मान ली जाय तो उन्होंने जो कटौती प्रस्ताव दिया है, वह किस विभाग में है?

श्री राजो सिंह :- अध्यक्ष महोदय, इनके मद्दगार लोग उधर बहुत हैं। ये फुनगी पकड़ कर लोकप्रियता हासिल कर लेना चाहते हैं। हुजूर बात हुई लोक निर्माण कोई विभाग नहीं है। बजट का हेड लोक निर्माण विभाग रखा गया है इसे आपने स्वीकार किया है उसी लोक निर्माण विभाग के बारे में कहा गया था। लोक निर्माण विभाग का जो मद हे उसके मिनिस्टर बैठे हुए हैं, जो मुवर हैं, जो दूसरे विभाग के हैं वे भी बंगल में बैठे हुए हैं जो तीसरे हैं, वो भी हैं। ये सब जानते हैं कि स्पीकर को पावर हैं जो आदेश दे देंगे वो नियम हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि श्री राम विलास बाबू मुभ करेंगे आपने डिमांड सं० 21 मुभ कराया उसी में मेरा एमेंडमेंड है, उस में मेरा कटौती प्रसताव है। इसलिए हम मुव कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

इस शीर्षक की मांग 10 रूपये से घटायी जाय। राज्य सरकार की लोक निर्माण नीति पर विचार विमर्श करने के लिए।

अध्यक्ष महोदय, हमारे ही दल के माननीय सदस्य श्री ब्रज किशोर नारायण सिंह अपना विचार व्यक्त करेंगे।

श्री रमेन्द कुमार :- अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि पथ निर्माण विभाग के बारे में जवाब कौन देंगे? माननीय सदस्य, पथ निर्माण के बारे में बोलेंगे तो क्या

माननीय मंत्री पथ निर्माण उसका जवाब देंगे?

अध्यक्ष :- वो इंटरमेन कर सकते हैं। जहां तक बोलने की बात है आप पथ निर्माण से आसमान तक बोल सकते हैं उसमें कहां कोई रोकता है।

श्री ब्रज किशोर नारायण सिंह :- अध्यक्ष महोदय, इलियास हुसैन जी हमारे मित्र हैं। उन्होंने कहा कि हम जवाब देंगे। मैं पहले पथ निर्माण के बारे में ही कहना चाहता हूँ, अध्यक्ष महोदय,पथ निर्माण विभाग ने एक अरब छिआसी करोड़ छयालीस लाख चार हजार रुपये का बजट रखा है इसको देखने से पता चलेगा कि 3/4 हिस्सा मार्च तक गैर योजना जैसे मशीन, उपस्कर आदि खरीदने में खर्च करेंगे। 1/4 हिस्सा भी ये पुल-पुलिया पर खर्च कर पायेंगे। हमें विश्वास नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय, सारे सदन के लोग जानते हैं इस विभाग में एक पी०एल०एकाउन्ट की परिपाटी चली है। इसी विभाग में यह नहीं और विभाग में है लेकिन पथ निर्माण विभाग में जोरों पर है। जो भी आवंटन जाता है, सभी प्रमंडल में कार्यपालक अभियंता अपने-अपने नाम से ट्रेजरी में पी०एल० एकाउन्ट में दे देते हैं। इस पी०एल० एकाउन्ट के माध्यम से केन्द्र सरकार या योजना मद का जो पैसा आता है इसको ये गैर योजना मद में बदलते है। यह सवैंधानिक नहीं है, अनियमित है। यह इस सरकार में पूरे जोरों पर चल रही है। यहां जो बजट पेश होता है, उसमें यह लिखा रहता है कि "सड़क और पुल के संबंध में 31 मार्च 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा।"

श्री ब्रज किशोर नारायण सिंह :- जो भी राशि हम सदन में पारित करते हैं,

वह 31 मार्च तक ले लिये होता है। पी०एल० एकाउन्ट में पैसा जमा करके वर्ष 1991-92 का पैसा 1992-93 में खर्च कर रहे हैं उससे संविधान का उलंघन हो रहा है, उल्लघंन हो रहा है। आर्टिकल 202 के अन्तर्गत सदन में बजट पेश होता है और यह सदन अपनी स्वीकृति देती है।...................

श्री जगदानन्द सिंह :- पी०एल० एकाउन्ट के बारे में आप जानते हैं, आप भी तो राज्य मंत्री थे।

श्री ब्रज किशोर नारायण सिंह :- अध्यक्ष महोदय, माननीय सिंचाई मंत्री ने पी०एल० एकाउन्ट की बात कर दी। वैसे तो पी०एल० एकाउन्ट की व्यव्रस्था बहुत दिनों से है। इसका नियम है कि जब कोई विभाग मान लिया जाय कि नगरपालिका या और कोई विभाग इनको पैसा देती है पथ बनाने के लिये, उसकी एक प्राक्कलित राशि होती है, वह प्राक्कलित राशि आप पी०एल० एकाउन्ट में जमा करेंगे, न कि जो आपको आवंटन मिला है। उसको पूरा का पूरा पी०एल० एकाउन्ट में आप कभी जमा नहीं कर सकते हैं। इस संबंध में हमारे बहुत से मित्र जानकार हैं, उनसे भी पूछ लीजिये कि यह क्या हो रहा हैं? मैं द्वेष भाव से ऊपर उठकर कह रहा हूँ कि यह काम संविधान के विपरित हो रहा है, जिससे संविधान का उलंघन हो रहा है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि 1991-92 के लिये जो पैसा आपको मिला, उसमें कितनी राशि आपने पी०एल० एकाउन्ट में जमा किया, आप सदन को अवगत कराये। आपको उसमें से एक पैसा खर्च नहीं करना है बिना सदन की अनुमति से। मेरा यह आरोप है कि इसमें अनियमितता हुई है, आप ओवर ड्राफ्ट करते हैं उसको पूरा करने के लिये सरकार के सभी

विभागों में बड़े पैमाने पर और खासकर पथ निर्माण विभाग में ऐसा हो रहा है। इसलिये मैं सरकार से मांग करूंगा कि पूरे राज्य में पी०एल० एकाउन्ट में एक अप्रैल को कितना पैसा था, आप इससे सदन को अवगत करायें, तभी पैसा खर्च करे, नहीं तो वह खर्चा जायज नहीं समझा जायेगा। अध्यक्ष महोदय, 1991-92 में इनका बजट 72 करोड़, 62 लाख, 57 हजार रुपये का था, मेरा दावा है कि इसमें इन्होंने अनियमितता किया है। योजना मद में जो राशि थी, उसमें से 50 प्रतिशत से अधिक, खर्च नहीं हुआ। आप ये बतलावे कि 50 प्रतिशत से कम खर्च हुआ है या अधिक। आप उससे सदन को अवगत करायें कि कितना पैसा खर्च किया, कितना पी०एल० एकाउन्ट में जमा किया और कितना शेष पैसा बचा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, 1991-92 के बजट भाषण में मुख्य मंत्री ने सदन को अवगत कराया था कि योजना आयोग की अनुसंशा पर 80 करोड़ रुपये की योजना हम लेंगे। उसी भाषण में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वे इतना आन्तरिक साधन जुटा नहीं पायेंगे, इसलिये 71.8 करोड़ रुपया ये खर्च करेंगे और उसी में उन्होंने वादा किया था कि 728 पुल तथा 175 कि०मी० नई सड़क का निर्माण करायेंगे और 200 कि०मी० पथ का चौड़ीकरण करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री की सकल सेवाओं के दो वर्ष की किताब में इन्होंने कहा है कि 27 पुल बनने का दावा किया है, लेकिन मैं पूर्ण आंकड़ा देता हूँ कि उसमें मात्र 10 पुल का ही निर्माण कराया गया है। जहां तक 175 कि०मी० नई सड़क बनने की बात थी, उसमें से 5 कि०मी० भी नई सड़क बनी हो 200 कि०मी० जो पथ का चौड़ीकरण करना था, उसके सबंध में इन्होंने कोई आंकड़ा नहीं दिया है। अध्यक्ष

महोदय, इसके यहां क्या हो रहा है, हम उसका एक नमूना पेश करना चाहते हैं। इनके यहां एक श्री केशव प्रसाद, जे०ई० हैं, उनको लोग एकाउन्टेन्ट कहते हैं और वे सबाका हिसाब रखते हैं मंत्री लोगों के वे हिसाब रखते हैं, वे हैं जुनियर इंजीनियर।

श्री राम जतन सिन्हाः- अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य केशव प्रसाद के संबंध में बात कह रहे हैं लेकिन अब वे वसूली नहीं करते हैं। अब विनय कुमार जो अधीक्षण अभियंता है, और भ्रष्टाचार के ज्ञाता हैं और इस चार्ज में उन्हें निलंबित भी किया गया था, इससे उनको बड़ी कर अधीक्षण अभियंता बनाया गया है और वे ही अब वसूलने का काम करते हैं।

श्री ब्रज किशोर नारायण सिंहः- अध्यक्ष महोदय, हो सकता है हमारे मित्र लेटेस्ट इनफॉरमेशन दे रहे हों तो मैं कह रहा था कि उस नुजियर इंजीनियर को अवर सचिव के पद पर सचिवालय के पथ निर्माण विभाग में पदस्थापित किया गया है। अवर सचिव के पद पर वे ही जा सकते हैं जो सहायक अभियंता सलेक्सन ग्रेड हों। बिहार के इंजीनियरिंग सर्विस एशोसीयसेन ने 4-5 महीना पहले इसके संबंध में मुकदमा किया, इसका नतीजा क्या हुआ? केशव प्रसाद के ऊपर ये 121 कनीय अभियंताओं को सहायक अभियंता में प्रोन्नति दे दी गई श्री केशव प्रसाद के गलत पदस्थापन के चलते। क्योंकि वे ऐलेक्सन ग्रेड सहायक अभियंता नहीं थे और उनको आज भी जबर्दस्ती रखा गया है वे ही मंत्री लोगों का हिसाब किताब रखते हैं या कोई दूसरे भी वसूल कर रहे है। जैसा कि हमारे मित्र ने कहा । मेरा कहना और उनका कहना बिल्कुल सही है, उसमें कहीं कोई कनफ्यूजन नहीं है।

इस तरह के काम के लिये इन्होंने ऐसे लोगों को पदस्थापित किया है।

अध्यक्ष महोदय, इनके विभाग में एक है अचिन्त कुमार लाल, अभियंता प्रमुख । 1990-91 में इनके हस्ताक्षर से करोड़ों रुपये एडभांस का गलत एलौटमेंट हुआ। जब यह बात पकड़ में आयी तो उन्होंने कहा कि मेरा हस्ताक्षर नहीं हैं। उन्होंने कुछ लोगों से कहा कि यह हस्ताक्षर मंत्री जी या राज्य मंत्री जी के कार्यालय के किसी आदमी का है। इस संबंध में राजवंशी नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी। इसके बाद ए०जे० लाल ने किसी प्राइवेट सिगनेचर एक्सपर्ट से प्रमाण-पत्र ले लिया कि इनका सिगनेचर नहीं है। जब दारोगा इनके यहां पहुचा तो इन्होंने वे 7-8 दिनों तक सिगनेचर करने के लिये टाल-मटोल करते रहें। अब इसको फोरेन्जिक डिपार्टमेंट में भेजा गया है और तीन महीना से वहीं हैं और लगता है कि इसको दबाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि जो गलत एलौटमेंट हुआ है, उसके लिए कौन पदाधिकारी, कर्मचारी जिम्मेवार थे, कौन-कौन व्यक्ति उससे लाभान्वित हुये और कौन-कौन व्यक्ति उससे संबंधित हैं, यह जानकारी इतने दिनों से सदन में क्यों नहीं दी गई कि इसमें सरकार एवं सरकार के लोगों या इनके अपने लोगों का हाथ नहीं है। माननीय मंत्री सदन में इस बात को स्पष्ट करें। अध्यक्ष महोदय, हमारे बहुत से माननीय सदस्यों की आशंका है कि पक्षपातपूर्ण ढंग से और भ्रष्टाचार के आधार पर फोरेन्सिक लेबोरेटरी ये कहे कि इनका सिगनेचर नहीं है। इसलिये मैं मांग करता हूँ कि इस मामले की जांच दूसरे राज्य की एजेन्सी से करावें कि वह हस्ताक्षर उनका है या नहीं? अध्यक्ष महोदय, अब मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बातें इस विभाग के संबंध में इस विभाग में जो पदस्थापन

और स्थानान्तरण हो रही है, उसकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। संविधान की धारा 166 के अन्तर्गत राज्यपाल के आदेश से प्रत्येक विभाग में स्थापना समिति वनी हुई है, उसको संवैधानिक अधिकार है कि वह राज्यपाल की ओर से पदस्थापन और स्थानान्तरण करे। उसमें मामूली हेराफेरी करने के संबंध में सुझाव देने का अधिकार मंत्री जी को है।

अध्यक्ष महोदय, इसी जून के दूसरे और तीसरे सप्ताह में स्थापना समिति ने 50-51 कार्यपालक अभियंताओं की सूची बनाकर स्थानान्तरण के लिये प्रस्ताव मंत्री जी के यहां भेजा, जिसमें से लगभग 30-32 स्थानान्तरण प्रस्ताव में मनमानी फेर बदला मंत्री जी ने कर दिया। अध्यक्ष महोदय, निमय यह है कि नव प्रोन्नत कार्यपालक अभियंता को अकार्य में पदस्थापित किया जायेगा, पर मंत्री जी ने 14 नव प्रोन्नत कार्यपालक अभियंताओं को कार्य में पदस्थापित कर दिया। करीब 18 अभियंताओं के प्रस्ताव को कार्य के बदले अकार्य में और अकार्य के बदले कार्य में फेर बदल कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, इससे भी आश्चर्यजनक बात यह हुई कि मंत्री जी ने स्थापना समिति के उस प्रस्ताव में 39 कार्यपालक अभियंताओं को मनमानी प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव अपने तरफ से जोड़ दिया। प्रशासनिक आधार तब होता है जब उसके वरीय पदाधिकारी उसके विरूद्ध रिपोर्ट करता है, उसके विरूद्ध कोई आरोप होता है, लेकिन ऐसा कोई आरोप नहीं था। उस 39 स्थानान्तरण आदेश में मंत्री जी ने फिर प्रशासनिक आधार पर ही 19 कार्यपालक अभियंताओं को कार्य से अकार्य

में और 5 को अकार्य से कार्य में स्थानान्तरित कर दिया। अध्यक्ष महोदय, 89 कार्यपालक अभियंताओं का स्थानान्तरण अधिसूचना 22.6.92 को निकली। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि 22.6.92 को आपने जिन 39 कार्यपालक अभियंताओं का स्थानान्तरण कार्य से अकार्य या अकार्य से कार्य में किया है, इनके प्रस्ताव कहां से आये और उन पर क्या आरोप थे? अध्यक्ष महोदय, सबसे आश्चर्य की बात यह है कि मंत्री ने दिनांक 22.6.92 की अधिसूचना को अवक्रमित करते हुए 26 कार्यपालक अभियंताओं का स्थानान्तरण दिनांक 29.6.92 को किया जिसमें करीब 11 को कार्य से कार्य अकार्य में, 9 को अकार्य से कार्य में, 4 को कार्य से अकार्य में और 2 को अकार्य से अकार्य में स्थानान्तरित कर दिया। अध्यक्ष महोदय, उदाहरण स्वरूप अधिसूचना संख्या 3252 दिनांक 29.6.92 को उद्धृत करना चाहता हूँ। इसमें लिखा है कि विभागीय अधिसूचना संख्या 3022 दिनांक 22.6.92 को अवक्रमित करते हुए श्री कैलाश पाण्डेय, कार्यपालक अभियंता, सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, गया के तकनिकी सलाहकार की सेवाएं प्रशासनिक कारणों से भवन निर्माण एवं आवास विभाग से वापस लेते हुए इन्हें कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल गिरीडीह श्री सूरजदेव सिंह के स्थान पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से पदस्थापित किया जाता है।

उसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, कैसे दुरूपयोग किया गया है इसको आप देखें। अधिसूचना संख्या 3253 दिनांक 29.6.92 में लिखा है कि विभागीय अधि सूचना संख्या 3025 दिनांक 22.6.92 को अवक्रमित करते हुए श्री सच्चिदानन्द सिंह कार्यपालक अभियंता की सेवाएं प्रशासनिक कारणों से ग्रामीण विकास

विभाग से वापस लेते हुए इन्हें कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल पथ निर्माण विभाग चतरा श्री ओ०पी० वंग के स्थान पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से पदस्थापित किया जाता है। उसी तरह अध्यक्ष महोदय, अधि सूचना संख्या 3255 दिनांक 29.6.92 को देखा जाये । इसमें यह है कि विभागीय अधिसूचना संख्या 3020 दिनांक 22.6.92 को अवक्रमित करते हुए भी श्री पी०एन० गर्ग कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग पथ प्रमंडल डालटेनगंज को प्रशासनिक कारणों से वर्तमान पदस्थापन से स्थानान्तरित करते हुए इनकी सेवाएं कार्यपालक अभियंता के पद पर पदस्थापन हेतु बिहार राज्य पर्यटन निगम के अधीन प्रतिनियुक्ति पर सौंपी जाती है।

(इस अवसर पर सभापति महोदय, श्री अनूप लाल यादव ने आसन ग्रहण किया।)

सभापति जी, अधिसूचना की पूरी सूची मेरे पास है। मैंने जो कुछ कहा है पूरी जिम्मेवारी के साथ कहा है। सभापति महोदय, ऐसा स्थानान्तरण क्यों होता है? यह स्थानान्तरण क्या इंगित कर रहा है, क्या बतला रहा है, क्या हो रहा है, सभापति महोदय, कोई इंजीनियर, कार्यपालक अभियंता पैसा खर्च करेंगे तो कहां से लायेंगे? अपना घर बेच कर तो नहीं लायेंगे। यदि 1 रुपया खर्च करते हैं तो 5 रुपया सरकारी कोष से दुरुपयोग करेंगे। मै।आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि ये स्पष्ट करें कि 22.6.92 और 27.6.92 को जो इन्होंने 89 और 26 कार्यपालक अभियंताओं का स्थानान्तरण किया वह किस आधार पर किया? किस आध ार पर उन्होंने प्रशासनिक दृष्टि से उनको अकार्य से कार्य में, कार्य से कार्य

में अकार्य से कार्य में स्थानान्तरण किये ? इतना ही नहीं सभापति महोदय, अकार्य में जो इन्होंने स्थानान्तरण किया था उसको अवक्रमित करते हुए पुनः कार्य में कर दिया। यदि अपने को ये सचमूच में ईमानदार साबित करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार से परे साबित करना चाहते हैं तो इसके संबंध में ये स्पष्ट करें। सभापति महोदय, यह यहीं तक सीमित नहीं है। इसी तरह से लगभग 150 सहायक अभियंताओं का ट्रांसफर 3 से 6 महीने के भीतर किया गया है। क्या काम होगा? सभापति महोदय, इस तरह से सहायक अभियंता, कार्यपालक अभियंता और अधीक्षण अभियंताओं का स्थानान्तरण होता रहेगा तो क्या काम होगा?

सभापति महोदय, मैं अपने मित्र मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूँ कि इन्होंने पुलों का डाक किया और प्राइवेट पार्टी को दे दिया। 1990-91 में मार्च के अन्तिम दिन 12 -1 बजे रात में उसी दर पर, पुराने दर पर दे दिया जबकि इनको अवधि में आवागमन काफी बढ़ा है, परिवहन काफी बढ़ा है। यदि यही चीज पुल निर्माण निगम को दिया गया होता तो उसको आय होती आज जो वह घाटे में चल रहा है उसके घाटे की इससे बहुत हद तक पूर्ति हो सकती थी।

सभापति महोदय, मैं एक और उदाहरण पेश करना चाहता हूँ । हमारे मंत्री जी और इनका पूरा काफिला धनबाद गया हुआ था। वहां उन्होंने एक जगह गड़बड़ी पाई। वहां एक सहायक अभियंता एन०एच० के थे, जो तुरंत स्थानान्तरित होकर आये थे और अभी चार्ज भी नहीं लिये थे। उसको बुलाकर कहा कि बहुत खराब काम किया गया है और उसी जगह उनको

निलम्बित कर दिया गया।

सभापतिः- अब आप अपने क्षेत्र के बारे में कुछ बोलिये क्योंकि समय बहुत कम रह गया है।

श्री ब्रज किशोर नारायण सिंहः- सभापति महोदय, 3-4 मिनट मुझे और बोलने दिया जाय। सभापति महोदय, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि धनहा एक ऐसा क्षेत्र है जो पश्चिम चम्पारण में हैं लेकिन वहां के लोगों को गोपालगंज होकर आना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि एक पौन्टुन ब्रीज बनाकर इसको बगहा सबडिवीजन से जोड़ दिया जाये। इसी तरह से इसको गोपालगंज के सामने सीधे उत्तर तरफ में लौरिया-जोगापट्टी के सामने जोड़ सकते हैं। इससे दोनों बातें हो जायेंगी। एक, दोनों जगह के लोगों का आवागमन हो जायेगा और दूसरा, ईख की आपूर्ति हो सकेगीं जिससे सरकार को आय भी हो सकती है। इस काम को जितनी जल्दी हो सके करवा दिया जाये।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मुख्यमंत्री जी के घर से मीरगंज का सड़क जो वर्ष 1991-92 के लिए स्वीकृत नहीं था, बन गया है। वहीं सीवान -गोपालगंज राज़मार्ग में इटवा पुल बनकर दो वर्षों से तैयार है। सिर्फ एप्रोच रोड नहीं बनने की वजह से चालू नहीं हुआ है। जो पुराना पुल है वह कब ध्वस्त हो जायेगा पता नहीं। इसलिये मैं अनुरोध करता हूँ कि इसे शीघ्र बनवा दिया जाय।

सभापति जी, महम्मदपुर-लखनपुर, महम्मदपुर-छपरा पथ, सत्तरघाट-छपरा

पथ बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। सवारी चलना कठिन है। वहां मरम्मत के नाम पर जो भी खर्च किया गया है उसे अभियंतागण लूट लिए हैं। उसको मरम्मत करवा दिया जाय ताकि वह चालू हो जाये।

सभापतिः- एक मिनट में अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री ब्रज किशोर नारायण सिंह :- सभापति महोदय, पथों के फ्लैन्क में प्रत्येक वर्ष मिट्टी के कार्य में लूट होती है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि कम से कम दोनों ओर 15-20 सोलिंग करा दीजिए तो उसका एज बढ़ जायेगा।

सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वन विभाग इनके पथों पर पेड़ भर दिया है लेकिन उसका कोई माँ-बाप नहीं है। न फारेस्ट डिपार्टमेंट देखता है न इनका डिपार्टमेंट इनका ट्री रजिस्टर भी नहीं बना हुआ है। मुख्य सचिव ने परिपत्र दिया है कि आपलोग इसको टेक ओभर कर लीजिए लेकिन इनके इंजीनियर टेक ओभर नहीं कर रहे हैं। ये अपना ट्री रजिस्टर भी बना लें।

सभापति :- आप एक मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दीजिए।

श्री ब्रज किशोर नारायण सिंह :- सभापति महोदय, एन०एच०-28 की स्थिति गोपालगंज से उत्तर प्रदेश बोर्डर तक बहुत ही खराब है। उसका चौड़ीकरण हुआ है मजबूतीकरण नहीं हुआ है। वहां दूसरे राज्य के जो लोग आते हैं वे पूरे बिहार राज्य को गाली सुनाते हैं, इसमें हम, आप सभी आते हैं। ईख क्षेत्रों में ईख शेष से बहुत पैसा आता है। उससे प्रत्येक मिल क्षेत्र में कम

से कम 10 किलोमीटर रोड बनवाइये ताकि ईख का विकास हो।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि इनका लैन्ड रेकर्ड नहीं है। इसको रखिये। सभापति जी, बहुत- बहुत ध न्यवाद ।

श्री अशोक सिंह :- सभापति महोदय, सरकार द्वारा भवन, आवास..........

श्री राम जतन सिन्हा :- सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का सवाल है।

सभापति :- माननीय सदस्य व्यवस्था का सवाल उठावें तो वह कारगर रहे।

श्री राम जतन सिन्हा :- मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमवली के नियम 173 (3) में है- जो सदस्य उप-नियम (2) के अधीन कोई प्रस्ताव लाना चाहें वे अनुदान की मांग पर मतदान के लिए नियम प्रथम दिन से कम से कम सोलह दिन पहले सचिव को इसको लिखित सूचना देंगे और इसके साथ उस प्रस्ताव की एक प्रति उपस्थापित करेंगे। उसी नियम के उप-नियम (6) में है कि जब एक ही मांग के संबंध में अनेक प्रस्ताव प्रस्थापित किये गये हों, तब उनपर उस क्रम से विमर्श किया जायेगा जिस क्रम से उनसे संबंधित शीर्षक बजट में आये हों। राजो बाबू एवं अन्य माननीय सदस्यों का इसमें कटौती प्रस्ताव है। इसमें आप देखेंगे कि ....

सभापति :- अभी तक जो परिपाटी रही है उसी के अनुसार होने दीजिए। यह कोई व्यवस्था नहीं है। आप आसन ग्रहण कीजिए।

श्री अशोक कुमार सिंह :- सभापति महोदय, सरकार द्वारा भवन निर्माण, आवास एवं पथ निर्माण के संबंध में जो मांग पेश किया गया है उसके समर्थन और कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सभापति महोदय, पिछले दो वर्षो के दौरान जनता दल की सरकार ने पूरे राज्य में शोषित पीड़ित जनता को राहत दिलाने के लिये उनको खुशहाल बनाने के लिए प्रगतिशील और प्रभावकारी कदम उठाये हैं उसमें पथ निर्माण के संबंध में मैं कहना चाहता हूँ।

श्री अशोक कुमार सिंह :- सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के गतिशील तथा क्रांतिकारी नेतृत्व में पथ निर्माण विभाग में वर्षो से चली आ रही भ्रष्टाचार और मैटेरियल्स की चोरी पर रोक लगाने का काम हुआ है। एक नया कीर्तिमान स्थापित करने का काम इस सूबे में किया गया है।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूँ अपने माननीय सदस्यों से कि वे स्वयं पटना राजधानी में देखते होंगे कि प्रतिवर्ष सड़कों की मरम्मति पर जो ध न खर्च किया जाता था और प्रति वर्ष टूट जाता था और इस राजधानी की सड़के बदहाल रहती थीं। आज इसी राज़धानी में जो हॉट-मिक्सिंग प्लांट से सड़क बनाया जा रहा है, उससे न सिर्फ सड़क बन रही है बल्कि उस सड़क की मजबूती इतनी है कि पाँच वर्षों तक उस सड़क के मेटेंनेंस के मद में कोई खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी।

सभापति महोदय, इसी तरह न सिर्फ राजधानी बल्कि राष्ट्रीय उच्च पथों, एन०एच०-31 एवं एन०एच० 30 की सड़के पटना से मोकामा जाने वाली

सड़क को आपने देखा होगा कि कैसी अच्छी सड़क बना दी गयी है। और हमलोग जब गाड़ी से अपने क्षेत्र जाते हैं तो सहरसा जाने में एक घंटा समय कम लगता है। इसी तरह सासाराम से जो सड़क पटना पहुचती है, वह भी एक प्रशंसनीय काम हुआ है पथ निर्माण विभाग के द्वारा । ये सारे काम माननीय मुख्यमंत्री जी और पथ निर्माण विभाग के प्रभारी मंत्री जी की रुचि से हुआ है। पथ निर्माण विभाग में मैटेरियल चोरी का काम ठीकेदारों द्वारा किया जाता रहा है, उन ठीकेदारों को ठीक करने का काम हमारे क्रांतिकारी मुख्यमंत्री जी की पहल से हुआ है और उनके निर्देश को जिस तत्परता से हमारे प्रभारी मंत्री जी ने पालन किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि ....

(व्यवधान)

सभापति :- शांति। कृपया शांति बनाये रखिए।

श्री अशोक कुमार सिंह :- सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि पथ निर्माण विभाग पथ निर्माण के कार्य के साथ उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के कई हिस्सों में बेहतर यातायात की व्यवस्था के लिए बीच में पड़ने वाले पुल पुलियों के निर्माण हेतु भी प्रयत्नशील है जिसके वगैर बेहतर यातायात की व्यवस्था नहीं हो सकती है। और सी दृष्टि से 1975 में पथ निर्माण विभाग ने अपने अधीन "पुल निर्माण निगम" नामक एक अलग संस्था का गठन 1956 कम्पनी एक्ट के तहत किया। सभापति महोदय, मैं

कहना चाहता हूँ कि अभी हमारे माननीय सदस्य श्री ब्रज किशोर बाबू अपने भाषण में बहुत कड़ी बातें सुना रहे थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभारी मंत्री जी को, पिछले सदन में 1991-92 में पथ निर्माण विभाग का बजट 80 करोड़ रुपए का था और इस राज्य की वित्तीय संकट के कारण बजट में कटौती हो गई और बजट 23 करोड़ का हो गया उसमें से साढ़े नौ करोड़ रुपए का बजट तो पथ निर्माण विभाग के स्थापना पर ही खर्च होता है। उसके बाद योजना मद, गैर योजना मद तथा तरह-तरह के खर्चों के अलावे पुल-पुलियों के निर्माण पर भी खर्च करना पड़ा। वर्ष 1991-92 में जो एक उल्लेखनीय वर्ष रहा है, सभापति महोदय, आप जानते होगें कि सहरसा को एन०एच० से जोड़ने के लिए डुमरी पुल का निर्माण किया गया। रोसड़ा और समस्तीपुर जिले में नदी पर एक पुल का शिलान्यास 11.3.92 को किया गया। उसी तरह दरभंगा से रोसड़ा पथ में एक पुल का शिलान्यास किया गया, कांग्रेस शासन काल में हम देखते थे कि पुल और सड़कों के निर्माण के लिए शिलान्यास किया जाता था और सिर्फ शिलान्यास के पत्थरों की संख्या बढ़ती जाती थी। लेकिन श्री लालू प्रसाद यादव जी के राज में जब संसाधन जुट जाता है, तब पुल की शिलान्यास किया जाता है। इसी तरह भागलपुर जिले में 15 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर प्रदेश पुल निर्माण निगम के द्वारा गंगा नदी पर पुल बनाने का काम प्रारम्भ किया जा चुका है।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि जब 80 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान के विरूद्ध पथ निर्माण विभाग को 23 करोड़ रुपए मिले। उसमें से मात्र 3 करोड़ रुपए पुल निर्माण निगम को दिया गया जिसमें 1 करोड़ रुपए

रेवाघाट पर पुल निर्माण के लिए था और जनवरी में गंडक नदी पर जो मुजफ्फरपुर को छपरा से जोड़ने के लिए है, पुल बनाने का काम शुरू किया गया।

सभापति :- माननीय सदस्य अशोक बाबू, आप अध्यक्ष हैं पुल निर्माण निगम के इसीलिए आप अपनी कठिनाइयों को बोल रहे हैं?

श्री अशोक कुमार सिंह :- सभापति महोदय, मैं कठिनाई पर नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो पथ निर्माण विभाग की उपलब्धि पर बोल रहा हूँ और पुल निर्माण निगम, पथ निर्माण विभाग का ब्रांच है।

सभापति :- माननीय सदस्य, आप समय सीमा के अन्दर अपने क्षेत्र की बात रखें, कोशी इलाके की बात को रखेंगे, तो अच्छा होगा।

श्री अशोक कुमार सिंह:- सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि वित्तीय वर्ष 1991-92 में मुजफ्फरपुर -छपरा पथ में रेवाघाट पुल का निर्माण 13 करोड़ रुपये की लागत पर कराया जा रहा है। 13 करोड़ की लागत से 162 मीटर वाला उच्च स्तरीय पुल का निर्माण प्रारम्भ किया गया है, जिसमें 29 कूपों का निर्माण करना है। इस 29 कूपों में 11 कूपों का कार्य किया गया है। 195 मीटर ढलाई एवं गलाई की गयी है। शेष कार्य प्रगति पर है। 1992-93 में सभी नींव कार्य और सब-स्ट्रक्चर कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य है।

श्री राम परीक्षण साहु :- सभापति महोदय, मेरा प्वायंट औफ आर्डर है। 1980-81 में मुजफ्फरपुर-महुआ पथ पर कदाने नदी पर पुल बनाना था,

इस पर 16 लाख रुपये खर्च हो गये। 11 पाया बनाना था, जिसमें से अभी तक सिर्फ दो ही पाया बन पाया है। यह 1980-81 की योजना है। मंत्री महोदय, अपने जवाब में इसके बारे में भी बतलायेंगे, यह पुल बनेगा या नहीं, इस पुल के निर्माण के लिये सरकार क्या कदम उठाने जा रही है?

सभापतिः- माननीय सदस्य, आप अभी कृपया बैठ जाइये, जब आपको समय मिलेगा तो उस पर आप बोलेंगे।

श्री अशोक कुमार सिंहः- सभापति महोदय, मेरे कहने का भाव यह है कि पथ निर्माण विभाग की क्या उपलब्धि रही है, मैं यह कहना चाहता हूँ कि पथ निर्माण विभाग का पिछले वर्ष का बजट करीब 80 करोड़ रु० का था, जो वित्तीय संकट के कारण इसको घटाकर 23 करोड़ रु० का कर दिया गया इस सीमित साधन में पथ निर्माण विभाग ने 1991-92 वर्ष में काफी उल्लेखनीय कार्य किया है जिसको मैं सदन में रख देना जरूरी समझता हूँ। सभापति महोदय, गत वर्ष पथ निर्माण विभाग का तीन काम करोड़ रुपये का पुल निर्माण निगम को सौंपा गया। 31 मार्च, 1992 तक 8 पुलों का निर्माण कर जनता को समर्पित कर दिया गया है। इन पुलों का नाम इस प्रकार है (1) हजारीबाग जिलान्तर्गत हजारीबाग- गोमिया-चतरा गोसाइडीह पथ में लीलाजन पुल, (2) कटोरिया-सिमुरतल्ला पथ में करूंगा पुल, (3) कटोरिया-सिमुरतल्ला पथ में वार्ण पुल, (4) पटना जिलान्तर्गत दुल्हिन बाजार पाली किंजर पथ में पुनपुन नदी पर पुल, (5) औरंगाबाद दाउदनगर पथ के 10 वें मील में पुनपुन नदी पर ओबरा पुल, (6) रोहतास जिलान्तर्गत काव नदी पर नारायणपुर पुल, (7) पश्चिमी

चम्पारण-लौरिया-शिकारपुरठोरी पथ में कटरांव नदी पर पुल।

इस तरह से सभापति महोदय, 31.3.92 तक इस आर्थिक संकट में, सीमित संसाधन के बावजूद इन पुलों के निर्माण को पूरा करने का काम इस विभाग में हुआ है।

श्री अशोक कुमार सिंह :- सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि वर्ष 92-93 में पथ निर्माण विभाग इस राज्य में 17 पुलों का निर्माण कार्य पूरा करेगी इसका उल्लेख मैं करना चाहता हूँ, जो निम्न प्रकार है:-

1. यारपुर ऊपरी पुल
2. आरा-सासाराम पथ में काव पुल
3. छपरा-मांझी दरौली पथ में झरही पुल
4. मुजफ्फरपुर-सीतामंढ़ी पथ में मक्सूदपुर पुल
5. सिमरिया-टंडया पथ में बड़की पुल
6. डुमरांव-बिक्रमगंज पथ में 16वें मिल में काव पुल (नावानगर)
7. डुमरावं -विक्रमगंज पथ में 16 वें मिल में काव पुल (लघु सेतु)
8. सक्सोहरा-अस्थावा पथ में गोइंठवा पुल
9. काव नदी पर 17 वे मिल में पुल
10. कटोरिया-सिमुरतल्ला पथ पर धरवा पुल

11. क्टोरिया-रिमुरतल्ला पथ में करवा पुल

12. कटोरिया-सिमुरतल्ला पथ में रंगा पुल

13. विस्फी- कमतौल पथ पर वलहाघाट पुल

14. जोगबनी काला-बलूहा पथ पर सीताधार पुल

15. पूर्णियां अररिया पथ में मड़ईधार पुल

16. अररिया-बहादूरगंज पथ में रानीधार पुल

17. रोसड़ा-बहेरी पथ में बरोयाही पुल

सभापति महोदय, मैं सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि इस विभाग में क्रांति आयी है लेकिन ये कांग्रेस के लोग केवल ट्रांसफर-के बारे में अपने भाषण में उल्लेख करते हैं। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से जनता दल की सरकार ने तमाम कॉर्पोरेशन और निगमों में जान देने का काम किया है। लेकिन इसके पहले कांग्रेस के शासन काल में न कॉर्पोरेशन और निगमों को चारागाह बनाकर छोड़ दिया गया था भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने का काम किया गया था और यही कारण है कि जनता दल की सरकार ने उन तमाम निगमों और कॉर्पोरेशनों के लोगों को बाहर करने का काम किया है। इस तरह निगम को सबल बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। श्री विनदेश्वरी दूबे के शासन काल में गलत काम करके इस नियम को घाटे में पहुंचा दिया गया था 86 में पुल कर, वसूली का काम परिवहन निगम को

दिया गया था। उन सभी पुलों के पथ कर वसूली के 85 प्रतिशत राशि परिवहन निगम को पुल विकास निधि में देना था जो अपर्याप्त है। इसमें अब तक 7 करोड़ बकाया है। अगर ये राशि दे दी जाती तो यह निगम घाटे में नहीं रहती । मैं कहना चाहता हूँ कि ब्याज दौल ऐक्ट में संशोधन करके 7 टूटे पत्थर का काम हेतु गंगा किनारे जो पथ बक्सर तक बन रहा है उसको पुल निर्माण निगम को सौंपने का काम करे। मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि इस निगम में कोई अलग से स्थापना व्यय नहीं मिलता है इसलिए स्थापना व्यय देने की कार्रवाई की जाय।

सभापति :- अब आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री अशोक कुमार सिंह :- सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री का ध्यान सहरसा की ओर ले जाना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने राज्य में अच्छा काम शुरू किया है उसी तरह से सोनबरसा, मधेपुरा का जो मार्ग है वह क्षतिग्रस्त हो गया है और इस संबंध में प्रस्ताव सरकार के यहां लम्बित हैं। मेरा अनुरोध होगा कि इसको शीघ्रतिशीघ्र मरम्मत कराये।

सभापति महोदय, पुल निर्माण निगम ने 46 करोड़ रुपया का कार्य अब तक किया है जिसका 10 प्रतिशत सेन्टेज चार्ज 4 करोड़, 60 लाख वित्त विभाग से दिलवाया जाय तथा मुख्य सचिव स्तर पर इस आशय की बैठक द्वारा निर्णय कर अनुपालन किया जाय।

श्री यमुना सिंह :- सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री राजो सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के

लिए खड़ा हुआ हूँ। सभापति जी,श्री ब्रज किशोर बाबू ने जो बजट के संबंध में अपना विचार प्रस्तुत किया है मैं उनके विचारों से सहमत हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिहार हिन्दुस्तान में आबादी के मामले में दूसरा स्थान रहता है लेकिन सभापति जी आपको आश्चर्य होगा कि सड़क निर्माण के मामले में बिहार हिन्दुस्तान में दसवें स्थान पर है। सभापति जी, आपको और आश्चर्य होगा उत्तर प्रदेश हिन्दुस्तान में सड़कों के मामले में तीसरे स्थान पर है और बिहार 10वें स्थान पर है। लेकिन मैं कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सड़क निर्माण के मामले में पहले स्थान पर है, इतना ही नहीं छोटी सी आबादी वाला तमिलनाडु सड़क निर्माण के मामले में दूसरे स्थान आंध्र प्रदेश 5वें , मध्य प्रदेश 6वें, कर्नाटक चौथें और गुजरात 7वें स्थान पर है। सभापति महोदय, अब आप विचार करेंगे कि बिहार हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा साधन सम्पन्न है। बिहार में रौ-मेटेरियल्स है, कच्चा पत्थर है, वहां काम करने वाले मजदूर हैं लेकिन अफसोस है कि आजादी प्राप्त होने से इतनी लम्बी अवधि में अधिकांश समय कांग्रेस का शासनकाल रहा। अभी श्री लालू प्रसाद की सरकार है और इस सरकार में भी सड़क की क्या स्थिति है सभापति जी आप देख रहे हैं। 1991-92 में पक्की सड़क का कितना निर्माण हुआ, इनकी रिपोर्ट में 10 कि०मी० पक्की सड़क का निर्माण हुआ है ऐसा बताया गया है। केवल दस किलोमीटर 1992 में पक्की सड़क का निर्माण किया गया। इलियास साहब ने कुल दस कि०मी० सड़क बनवाया इसी से आप समझ सकते हैं कि सामाजिक न्याय करने वाली सरकार बिहार में केवल दस किलोमीटर पक्की सड़क बनाती है। इनकी उपलब्धि क्या है? आपको आश्चर्य होगा और हमारे सभी माननीय सदस्य

जानते है कि हमारे मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी भाषण बहुत मारते है। और इन्होंने भाषण दिया कि बिहार की सड़कों को हेमामालिनी की गाल के तरह बनवा देंगे अखबारों में भी यह खबर आई है। सभापति महोदय, यह खबर हिन्दुस्तान के अखबारों में भी निकला। यहां सभी माननीय सदस्य विद्वान हैं बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा। बिहार का मुख्यमंत्री कोई जाति विशेष का नहीं होता है। बिहार का मुख्यमंत्री सभी बिहार में रहने वालों का होता है और मुख्यमंत्री जो बोलता है वह बिहार के नागरिकों की आवाज़ होती है। बिहार के माननीय सदस्यों की आवाज होती है। सभापति जी मुझे इस विधान सभा में पांचवीं बार आने का सौभाग्य प्राप्त है। मैंने अब तक 12 मुख्यमंत्रियों को देखा है इस सदन में लेकिन श्री लालू प्रसाद भाषण करने में सबसे आगे हैं। इन्होंने भाषण दे दिया है बिहार की सड़कों को हम हेमामालिनी के गाल की तरह बनवा देंगे। अफसोस हैं सभापति महोदय, हेमा मालिनी की गाल की तरह तो नहीं बना सके, लालू प्रसाद अपने या इलियास हुसैन जी के गाल की तरह ही बनवा देते तो बिहारवासियों का कल्याण हो गया होता । ये कहते हैं कि हम पिछड़े वर्ग के हितैषी हैं, आदिवासी और हरिजनों के हितैषी हैं लेकिन सभापति महोदय, पूरे छोटानागपुर और संथाल परगना में कहीं भी रोड का निर्माण लालू प्रसाद जी के समय में नहीं हुआ। इतना ही नहीं, पलामू जिला में शाहपुर-गढ़वा रोड है जिसका निर्माण दो वर्ष पूर्व हुआ था। दुखद बात है कि इलियास साहब को समझ में नहीं आता है कि जब किसी रोड का सर्वे होता है तो उसका प्लान और एस्टीमेंट बनता है और उसके साथ-साथ नदी नालों पर पुल-पुलियों का भी एस्टीमेट बनाना चाहिए। इतना ही नहीं, पुल बनने के

बाद उसका जो एप्रोच रोड होता है उसका भी एस्टीमेट साथ ही साथ बनेगा। इलियास साहब तो रोड का प्राक्कलन बनवा देते हैं, रोड का काम शुरू हो जाता हैं, लेकिन मुल पुलिया एवं एप्रोच रोड का निर्माण रोड बनाने के बाद भी नहीं होता है। शाहपुर गढ़वा रोड का निर्माण हो गया और कहले नदी पर पुल निर्माण के सर्वे का काम नहीं हुआ पुल निर्माण के सर्वे का काम मिला पुल निर्माण निगम को, पुल निर्माण निगम ने एक करोड़ रुपया ले लिया, लेकिन आज तक काम शुरू नहीं हुआ, सभापति जी। कहले नदी पर पुल का सर्वे नहीं हुआ। रोड जो बना था उसपर जो मिट्टी भरा गया, ग्रेड 1 और 11 का जो काम हुआ था वह सारा का सारा उखड़ कर खतम हो गया, यह करामात है इलियास साहब का। इतना ही नहीं, पुल निर्माण निगम को पूरे बिहार में अरबों रुपया मिलता है। लेकिन निर्माण कार्य आप देखेगे पूरे बिहार में पुल निर्माण निगम द्वारा कार्य आरंभ हुआ, लेकिन 15,20 सालों में एक भी पुल पुलिया का निर्माण निगम द्वारा नहीं किया गया है। यह जनता के पैसे का दुरूपयोग इलियास साहब कर रहे हैं। इलियास साहब आपको जितना औकात हैं उतना ही काम लीजिये। सभापति महोदय,. मैं इनको सुझाव देना चाहता हूँ कि आपको जितना पैसा है आप उतना ही रोड लीजिये और रोड बनाने के लिए आप लक्ष्मण रेखा खीचिये, सुरसा के तरह नहीं। पथ निर्माण या भवन निर्माण में आप एक लक्ष्मण रेखा खीचें कि इतने समय में आपको यह काम पूरा करना है। अगर ये नहीं करेंगे तो होता क्या है कि सुरसा के तरफ रीवाईज्ड एस्टीमेट बढ़ता जाता है जो काम पांच साल में पूरा होना चाहिए उसमें 15-20 साल लग जाते हैं।

सभापति महोदय, अब मैं भवन निर्माण के बारे में बोलना चाहती हूँ । मैं

आर० ब्लौक के न्यू फेमिली टाईप कवार्टर 22 नं० में रहता हूँ। यह बहुत ही पुराना मकान है, इसका दरवाजा और चौखट खत्म हो गया है। मैंने कई बार प्रयास किया लेकिन मकान का चौखट और दरवाजा नहीं बदला गया। इसके दीवार भी पुराने हो गये है इसको भी प्लास्टर करने की जरूरत है। यहीं हाल आर० ब्लौक के सभी मकानों और सड़कों की है।

सभापति :- माननीय सदस्य आप का गला भी फंस गया है और आपका समय भी समाप्त हो गया है। आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री यमुना सिंह :- एक घंटा भी बारिस हो जाता है तो आर० ब्लौक की सड़कों से पानी नहीं निकल सकता कयोंकि ड्रेनेज नहीं है। पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। यह कांग्रेस और जनता दल की क़रामात है। हजारीबाग जिला में हजारीबाग बगोदर रोड के सोलवें मील में 400 फीट पर पांच लाख रुपया 1991-92 में खर्च किया गया परन्तु सारा रोड खराब हो गया। इसमें फिर पाँच लाख रुपया लगाया जा रहा है। यह इनकी करामत है। गया जिला के फलगू नदी पर मानपुर में पुल निर्माण कई वर्षों से चल रहा है, वह आज तक पूरा नहीं हुआ। गया शहर के स्टेशन स्वराज पूरी रोड नई गोदाम पंचायती अखाड़ा पथ को मरम्मती करायी जाये। पटना में ओभर ब्रीज का निर्माण कई सालों से चल रहा है, केन्द्र सरकार का पैसे से इलियास साहब केन्द्र के पैसे का भी सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। ओभर ब्रीज जो बन कर तैयार भी है उनका स्प्रोच रोड नहीं बना है।

सभापति :- आपका समय समाप्त हो गया। आसन की बात मानिये। और बैठ जायें

श्री यमुना सिंह :- पलामू जिला के गारू ब्लौक जो एक ट्राईबल ब्लौक है जो सबसे पिछड़ा हैं। गारू से बेती मोबाई तक सड़क का निर्माण हो चुका है और इस सड़क में गारू, मोरवाईपथ में ढोगांसी एवं झरिया नदी, पंडरा ढोढा, पंडरा नदी, रूद नाला, कोटाम नदी, कबरी नदी, टाना नदी में पुल पुलिया का निर्माण कार्य आरम्भ हुआ था, जिसमें टाना नदी, कोटाम नदी, क्वरी नदी और रूद नाला में पुल पुलिया का निर्माण कार्य पुरा हो चुका है लेकिन एप्रोच रोड का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। इसलिए ओभर ब्रीज पुल-पुलिया बनाने, एप्रोज रोड शीघ्र बनाने की व्यवस्था सरकार शीघ्र करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत -बहुत धन्यवाद।

श्री दिनेश चन्द्र यादव :- सभापति महोदय, सिमरी बख्तियारपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सिमरी सोनवर्सा पथ 1984 से ध्वस्त है। कई बार सरकार का इस ओर ध्यान दिलाया गया लेकिन कोई ध्यान नहीं गया। मैं मांग करता हूँ कि मंत्री जी उक्त पथ की मरम्मती करवा दें।

श्री अर्जून राम :- माननीय सभापति महोदय, हमारे माननीय पथा निर्माण मंत्री दिल के बहुत साफ आदमी हैं। मैं चाहता हूँ कि आज संविधान सभा के अंदर एक रेकर्ड बनना चाहिए। रेकर्ड इस बात का बनना चाहिए कि उन्होंने पथ निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता और दूसरे अभियंताओं को भ्रष्टाचार आरोप में निलम्बित करने के लिए कहा था, और उनके नाम अखबारों में छपे थे, आज तक उनलोगों को निलम्बित नहीं किया। मैं माननीय मंत्री से कहुंगा कि आज विधान सभा के अन्दर उन

तमाम भ्रष्ट अभियंताओं को निलम्बित करने की घोषणा करें ताकि बिहार की जनता को यह मालूम हो जाये कि जो गड़बड़ी शुरू से आ रही है, शुरू से आज तक कोई रूकावट थी जिसके कारण हमारे रोड कहीं नहीं बन रहे है। पथों का निर्माण नहीं हो रहा था।

श्री अर्जून राम :- माननीय सभापति महोदय, जब हम बिहार के बाहर जाते है. ....

श्री लाल बाबू प्रसाद :- सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति :- इनकी व्यवस्था सुन लीजिये।

श्री लाल बाबू प्रसाद :- सभापति महोदय, बूढ़ी गंडक पुर्वी चम्पारण ....

सभापति :- बूढ़ी गंडक व्यवस्था में कहां हैं? यह कोई व्यवस्था नहीं हैं।

आप (मा० सदस्य श्री अर्जून राम) अपनी बातों को जल्द से जल्द समाप्त कीजिये, समय बहुत कम हैं और बहुत माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। माननीय सदस्य, को जिज्ञासा है बिहार के सड़कों के बारे में, इसलिये आप अपने क्षेत्र के बारे में बातें रखेंगे तो सरकार नोटिस लेगी।

श्री अर्जून राम :- माननीय सभापति महोदय, जब हम बिहार के बाहर के राष्ट्रीय उच्च पथों पर जाते हैं तो लगता है कि हम राष्ट्रीय उच्च पथ पर चल रहे है परन्तु जैसे ही बिहार में प्रवेश करते हैं और राष्ट्रीय उच्च पथ पर चलते हैं तो पता चल जाता है कि हम बिहार में प्रवेश कर गये हैं। क्योंकि यहां राष्ट्रीय उच्च पथ है ही नहीं बिल्कुल देहाती रास्ता है। सभापति महोदय, मैं

आपको कहना चाहता हूँ मेरी बाते माननीय मंत्री महोदय से हो रही थी, उन्होंने खुद देखा है कि रामगढ़-बोकारो का जो रोड है, वह तो रोड ही नहीं है उन्होंने स्वयं जाते हुये इस रोड को देखा था, जब उनके गाड़ी की बत्ती गुम हो गई थी तो लोगों से लालटेन मंगाकर पूछा था कि रोड कहां है? इस तरह की तो यह रोड है। राष्ट्रीय उच्च पथ के अन्दर जो काम हो रहे हैं जो घटिया किस्म के हो रहे हैं। राँची -मुरी पथ में जितने काम हुये, आंठ वर्ष में काम पूरा नहीं हो सका करोड़ों रुपया भारत सरकार से आता है, लेकिन इसका देख रेख करने वाला कोई नहीं है। अभी मरम्मति का काम हो रहा है, बरसात के बाद शुरू होगा, करोड़ों रुपया पानी में मिल जायेगा। इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय उच्च पथों में जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उसमें आधुनिक मशीन इस्तेमाल होना चाहिये। पटना और राँची की तरह ही हमारे देहाती क्षेत्र में राष्ट्रीय उच्च पथा पी० डब्लू० डी० और जिला पर्षद के पथों में भी आधुनिक मशीन से कार्य होना चाहिये यह मैं कहना चाहता हूँ।

सभापति महोदय, एक बात में पुल निर्माण निगम के बारे में कहना चाहता हूँ । पुल निर्माण निगम का सारा कार्य एक धोखा है, मेरे इलाके में जितने भी पुल निर्माण निगम द्वारा बनाया जाता है वह 25 वर्षों से बन रहा है, लेकिन आज तक वह पुल नहीं बना। इस कॉरपोरेशन में बहुत भ्रष्टाचार है, इनको एक पैसा नहीं देना चाहिये, मैं यह कहना चाहता हूँ। 15 साल पहले जिसका प्राक्कलन तीन करोड़ स्वीकृत था आज वह बढ़कर 30 करोड़ की हो गया है। इन्होंने इस तरह की घटिया काम किया हैं कि कोई भी दूसरा काम नहीं करना चाहता है, इसलिये इस पर पाबंदी लगे। हमारे इलाके में

छोटानागपुर संथाल परगना में जितने भी पुल निर्माण निगम के काम प्रारम्भ हुये हैं वे 15-20 वर्षों से ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसको देखने वाला कोई नहीं है। हमारे देहात में पी०डब्लू०डी० का जो रोड बना हुआ है, उसकी भी कोई देखने वाला नहीं है। कार्यपालक अभियंता, ठीकेदार, अधीक्षण अभियंता तमाम लोग मिले हुये हैं, सरकार का पैसा खा रहे हैं। इसलिये सभापति महोदय, जो लोग काम गलत काम किये हैं, जो भ्रष्ट हैं, राँची-सिंहभूम में जितने गलत काम हुये हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिये। जय हिन्द। जय झारखण्ड।

हमारे राँची, सिंहभूम और गोड्डा जिले में जितने भी पुल का काम हुआ है, सब खराब हुआ है।

सभापति :- अब आप स्थान ग्रहण करें। अब आप बैंठे।

श्री कृष्ण बल्लभ प्रसाद :- मैं सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया है, उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सभापति महोदय, आज जो जनता सरकार है, वह धरातल पर बनी थी। जनता को आशा थी कि कांग्रेसी सरकार से अच्छा प्रशासन हमको मिलेगा और जनता ने जिन आकांक्षओं, भावनाओं से जनता पार्टी को गद्दी पर बैठाया, आज वह पूरा नहीं हो रहा है।

जहां तक समर्थन करने का सवाल है, हम वामपंथी पार्टी, हम कम्यूनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या अन्य कोई भी वामपंथी पार्टी आपका बंधुआ बैल नहीं है। मैंने आपको जिन्दगी भर समर्थन करने का वादा नहीं

किया है। हमने आपको समर्थन किया है अच्छे कामों के लिए, बिहार का निर्माण और गरीबों की भलाई करने के लिए। लेकिन आज जो जनता दल सरकार की रवैया है, वह कांग्रेस से भी बदतर है। जनता सरकार की चाल-चलन कांग्रेस पार्टी की सरकार से भी बदतर है। मैं आप मंत्री के विरूद्ध नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जब मंत्री परिषद पर बोलने के लिए समय मिला है, तो बोल रहा हूँ।

मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि श्री मो० इलियास हुसैन, जो पथ निर्माण मंत्री हैं, 1952 से आजतक जितनी भी सरकारें बनी और जितने भी लोक निर्माण मंत्री हुए, से भ्रष्ट कम ही कोई हुआ होगा। आज दो वर्षों की अवधि में लगभग 10 करोड़ रुपया इन्होंने ट्रांसफर और पोस्टिंग में घुस के रूप में कमाया है जिसका मैं प्रमाण इनके सामने पेश कर रहा हूँ।

(व्यवधान)

सभापतिः- आप लोग बैठ कर उनकी बात सुनें।

श्री अवध बिहारी चौधरीः- सभापति महोदय, बिना सबूत के किसी मंत्री के खिलाफ ये आरोप लगा रहे हैं?

सभापति :- सुन लीजिए। आप लोग आसन ग्रहण कीजिए।

श्री कृष्ण बल्लभ प्रसाद सिंह :- दिनांक 5.2.1992 को नालंदा जिला के एक कार्यपालक अभियंता श्री श्याम नन्दन सिंह, जिनके विरूद्ध मैंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, इन्होंने जांच किया। जब मैंने पूछा कि उनकी संचिका कहां है तो इन्होंने कहा कि संचिका मुख्यमंत्री जी के पास है। जब

मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि संचिका नहीं मिली है। इन्होंने एक मुस्त 75,000/- की राशि उक्त कार्यपालक अभियंता से लिया। यह राशि कृष्ण, पासवान नामक एक एस०ई० और बैठा, जो धोबी हैं, कार्यपालक अभियंता के माध्यम से लिया ।

(व्यवधान)

अगर आपलोग नहीं बोलने देना चाहते हैं, तो हम नहीं बोलेंगे। यह मैं प्रमाण के साथ बता रहा हूँ।

श्री कृष्ण बल्लभ प्रसाद :- सभापति महोदय, श्याम नन्दन सिंह के फाईल पर मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि बदली कर दीजिये तब इन्होंने 2 लाख रुपया लेकर श्याम नन्दन सिंह, एग्जीकयूटिव इंजीनियर, बिहार शरीफ के फाईल को दबा दिया। मैंने इनके कमीशनर को लिखकर दिया कि अगर उसकी बदली नहीं की जायेगी तो 6.8.92 से इलियास हुसैन के दरवाजे पर आमरण अनशन करेंगे।

सभापति :- अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री कृष्ण बल्लभ प्रसाद :- सभापति महोदय, 2 मिनट भी नहीं हुआ है। अच्छी बात बतला रहा हूँ।

सभापति :- अच्छी बात क्या है वह सदन समझ रहा है, अच्छी क्या बात होती है मैं समझता हूँ।

श्री कृष्ण बल्लभ प्रसाद :- मैं एक चार्ट आपको दे रहा हूँ जिसको पढ़ने का

समय नहीं है। आप पढ़ा हुआ मान लें। इन चार्ट में 119 कार्यपालक अभियंताओं की बदली की गयी इसमें ऐसे लोगों की बदली हुई है जिनको बदली हुई 60 दिन हुए हैं, डेढ़ वर्ष और डेढ़ महीना हुए थे। तीन-तीन लाख रुपया सबों से लिया जिसका प्रमाण आपके सामने है और 11 दिनों में ही 11 नोटिफिकेशन हुआ है।

सभापति :- आपको संजीदगी के साथ बोलना चाहिए। लेकिन आप एक चार्ज फ्रेम करते हैं। आप तीन लाख और 2 लाख रुपया की बात करते हैं इसका प्रमाण तो आपके पास है नहीं और नहीं होगा इसलिए अंदाज पर कोई बात नहीं बोलना चाहिए। आप वैसी बात नहीं बोलें जिसका प्रमाण आपके पास नहीं हो।

श्री कृष्ण बल्लभ प्रसाद :- नहीं बोलने दीजियेगा तो नहीं बोलेंगे लेकिन सच्ची बात आज बोलेंगे। हवक से पानी ऊपर चला जाता है तो पानी बाहर चला ही आता है । सच्ची बात छिपती नहीं है वह तो सामने आयेगी ही।

श्री राम जतन सिंह :- सभापति महोदय, व्यवस्था का सवाल है । अभी जब माननीय सदस्य ने कहा कि खेत खाए गदहा और मार खाए जोलहा तो इसको प्रोसिडिंग्स से निकाल दिया गया ये तो ट्रांसफर पोस्टिंग करते नहीं है सब मुख्यमंत्री करते हैं और पैसा वसूल कोई दूसरा आदमी करता है जो मुख्यमंत्री का आदमी है।

सभापतिः- यह कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है। पैसा वसूलने वाली बात कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है। श्री कृष्ण बल्लभ प्रसाद जी आप एक मिनट

में अपनी बात समाप्त कीजिये, काम की बात कीजिये, क्षेत्र की बात कीजिये।

श्री कृष्ण बल्लभ प्रसाद :- मेरा तो टाईम यूँ ही वरबाद हो गया, मैं अभी बोला कहां हूँ सभापति महोदय, इसमें 119 कार्यपालक अभियंताओं की बदली की गयी। सभापति महोदय, मैं समूचा आपको दे रहा हूँ। 57 एस०डी० ओ० की बदली की गयी गृह ज़िला में। सात दिन के अंदर भी बदली हुई है। 24 तारीख को बदली की जा रही है फिर 27 तारीख को उसी की बदली की जा रही है।

सभापति :- आप अपने क्षेत्र की बात नहीं करेंगे? आपको केवल ट्रांसफर और पोस्टिंग ही सूझता है? प्रशासनिक दृष्टिकोण से सरकार को अधिकार है ट्रासफ़र और पोस्टिंग करने का। आप अपने क्षेत्र और सड़क निर्माण की बात करें।

श्री कृष्ण बल्लभ प्रसाद :- हम अब इसको बंद करते हैं क्योंकि आपको तकलीफ लग रहा है। यदि इस कागज को इन्टरटेन् नहीं किया जायेगा तो मैं एफीडेविट करके दे दूंगा।

सभापति :- अब आप समाप्त करे। एक मिनट में समाप्त करें।

श्री कृष्ण बल्लभ प्रसाद :- फतुहा से हुलासगंज तक सड़क को चौड़ीकरण करने की बात थी लेकिन अलकतरा के अभाव में वह नहीं हो सका है। जिला के सारे रोड अलकतरा के अभाव में बचा हुआ है मोतिहारी में अलकतरा से भरा हुआ एक ट्रक पकड़ा गया जो नेपाल में व्यापार करने हेतु ले जाया जा

रहा था। एक्यूज्ड से मिलकर लोक निर्माण मंत्री ने समूचा केस ही दबा दिया। सभापति महोदय, इस जनता सरकार के एक मंत्री राज्य को बर्बाद कर रहे हैं। इनके आचरण के खिलाफ कमिटी बनाकर जांच करायी जाय। ऐसे भ्रष्ट मंत्री को सरकार मंत्रिमंडल से निष्कासित करें नहीं तो यह सरकार आम जनता की नजरों में गिर जायेगी।

सभापति :- मा० सदस्य श्री कृष्ण बल्लभ प्रसाद की कोई बात अब प्रोसिडिंग में नहीं जायेगीं मा० सदस्य अजीत सरकार जी अपनी बात शुरू करें।

श्री अजीत सरकार :- सभापति महोदय, पी० डब्लू०डी० विभाग और पथ निर्माण विभाग से क्या ज्यादा उम्मीद की जा सकती है? एक अप्रील 1992 से आज तक क्या पथ निर्माण विभाग की नव निर्माण करने के लिए फायनेंस डिपार्टमेंट ने एक रुपया भी निकालने की इंजाजत दी? एक रुपया भी दिया? जिस विभाग को नव निर्माण करने के लिए एक रुपया भी नहीं मिलेगा वह क्या काम कर सकता है? सभापति महोदय, समय तो है नहीं परन्तु मैं संक्षेप में दो तीन बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। कम से कम सरकार जो बात विधान सभा में कहे उसका पालन करना चाहिए। बेगूसराय जिला को समस्तीपुर से जोड़ने वाली सड़क है, नरहन बाजार के नजदीक नरहन स्टेट नें 1920 में बनाया था उस सड़क में नरहन स्टेट ने 1920 में पुल भी बनाया था वह आज जीर्ण शीर्ण हालत में है। उसी विधान सभा ने वर्ष 1920 के जून सत्र में सरकार ने कबूल किया और कहा था कि 1990-91 वर्ष में ही उसको बना दिया जायेगा लेकिन आजतक नहीं बना। अभी- अभी आज ही पूर्णियां से खबर आयी है पूर्णियाँ शहर में एक

सड़क है। जो सुनौली तक जाती है। पर्णियाँ- सुनौली सड़क में सुनौली हाट के नजदीक जो पुल है उसको रिपेयर हुए एक महीने भी नहीं हुआ, उसमें लाखों रुपये खर्च हुए थे, 20 रोज हुआ है अभी पहली वर्षा हुई है और पुल टूट गया, सड़क अवरूद्ध हो गया है। पूर्णियां सुनौली सड़क जिससे 3-4 लाख लोगों का रोज आना जाना रहता है वह बंद हो गया है, इसलिए मैं मांग करता हूँ कि पूर्णियां-सुनौली सड़क को अविलम्ब चालू किया जाय। सभापति महोदय, इस विभाग के इंजीनियर्स के भ्रष्टाचार का हमलोग बोलते हैं, आरोप लगाते हैं। जब इंजीनियर्स का जन्म ही भ्रष्टाचार से होगा, उसका एपावायंटमेंट ही भ्रष्टाचार से होगा तो उससे क्या उम्मीद रखी जा सकती है। मैं एक एक्जाम्पुल आपके सामने रखना चाहता हूँ। बिहार में 1980 से 1986 तक करीब -करीब 2700 डिग्रीधारी इंजीनियर बेरोजगार हुए जिनकी लोक सेवा आयोग ने परीक्षा ली जिसमें 2300 लोग पास हुए यानि 2300 इंजीनियर्स की मेरिट लिस्ट बनी और उस मेरिट लिस्ट से 1150 इंजीनियरों की बहाली हुई। करीबन 1200 इंजीनियर बेटिंग लिस्ट में रह गये। इन 1200 का नाम बेटिंग लिस्ट में है। एक ओर हैं 1200 इंजीनियर जो लोक सेवा आयोग से आये है बहाली के लिये, दूसरी तरफ बिहार में हर्षद मेहता कांड जो है, वह कांड हुआ। रुपये की ताकत पर 159 इंजीनियर किस तरह से बहाल हुए, यह एक एक्जाम्पुल आपको बताना चाहता हूँ।

सभापति महोदय, पत्रांक- 1 स्था०- 3-19 /79 मुख्य अभियंता का कार्यालय, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, श्री शशि भूषण प्रसाद सिन्हा ने यह चिट्ठी निकाली जिसमें लिखा है कि सिविल इंजीनियर्स की नियुक्ति के

संबंध में उपर्युक्त के संबंध में निदेशानुसार मुझे कहना है कि ग्रामीण अभियंत्रण संगठन के बढ़ते हुए कार्यभार को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि योजनाओं को यथा शीघ्र पूरा करने के लिये अतिरिक्त तकनीकी पदाधिकारी, असैनिक इंजीनियर की नियुक्ति मास्टर रॉल पर कनीय अभियंता के रूप में की जाय। कनीय अभियंता के रूप में बहाल कर लिया। सारे कलक्टर और डी०डी०सी० को आर०ई० ओ० के इंजीनियर इन चीफ ने पत्र लिखा।

सभापति **महोदय**, दूसरे पत्र में दिनांक 16.6.87 को मंत्रिमंडल की बैठक हुई। **मंत्रिमंडल की बैठक** में यह निर्णय लिया गया कि पहले जो इंजीनियर थे जिनको कनीय अभियंता के रूप में बहाल किया गया जितने भी डेलीवेजेज पर काम कर रहे हैं, उन लोगों की नियुक्त कर लिया जाय। जो 1200 इंजीनियर हैं, वेटिंग लिस्ट में, मेरिट के हिसाब से, वह लिस्ट नहीं है। यह डी०डी०सी० और कलक्टर को चिट्ठी गयी और उसके बाद मंत्रिमंडल ने 16.6.87 को निर्णय लिया कि जितने लोग डेलीवेजेज पर काम रहे हैं, उनको बहाल कर लिया जाय। इस चिट्ठी के बाद रुपये का कमाल देखिये कि चिट्ठी गयी कि जो लोग काम कर रहे हैं, उनको अपने पद पर बहाल कर लिया जाय, मतलब कनीय अभियंता के रूप में बहाल कर लिया गया। लेकिन अधिसूचना संख्या 2481 (एस) 27.6..87 द्वारा पथ निर्माण विभाग ने दैनिक वेतन पर कार्यरत 186 डिग्रीधारी कनीय अभियंताओं को सहायक अभियंता के पद पर बहाल कर लिया। जो कनीय अभियंता थे, जो 30 दिन, 40 दिन, 100 दिन या 150 दिन कनीय अभियंता के रूप में काम किये, उनके बारे में मंत्रिमंडल ने फैसला लिया कि उनलोगों को

रेगुलर कर दिया जाय। आई०सी० कुमार उस समय, इस विभाग के सेक्रेट्री थे, उन्हीं के द्वारा दो नम्बर का काम हुआ। उसने क्या किया कि सारे लोगों को प्रमोशन देकर सहायक अभियंता के रूप में बहाल कर लिया। जब यह सहायक अभियंता बहाल हो गये उसके बाद इनके अवधि विस्तार के लिये संचिका बढ़ी मंत्रिमंडल सचिवालय में तो सभापति महोदय, वर्ष 1990 में सरकार के संयुक्त सचिव, निर्मलेन्दु चटर्जी ने इसको पकड़ लिया। मैं आपको और उदाहरण इसी का दे रहा हूँ।

सभापति :- मा० सदस्य सरकार साहब, आप समय का भी जरा ख्याल रखें। आपके पास सामग्रियाँ बहुत हैं, समय ज्यादा लगेगा लेकिन समय कम है।

श्री अजीत सरकार :- सभापति महोदय, सरकार के संयुक्त सचिव ने लिखा है कि:-

मंत्री परिषद ने निर्णय केवल इतना ही लिया है कि वैसे व्यक्ति जो डेली वेजेज पर काम कर रहे हैं उन्हें तदर्थ रूप से नियुक्त कर लिया जाए। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि कोई डेली वेजेज में कनीय अभियंता के पद पर है तो उन्हें कनीय अभियंता के पद पर ही तदर्थ रूप से नियुक्त कर लिया जाए। यहां जो अनियमितता हुई है इसको मंत्रिमंडलीय समिति मेरे कहने का तात्पर्य है कि यह सरकार जनता दल की सरकार है, आपके विभाग में सारी संचिकाएं पड़ी हुई है। कनीय अभियंताओं जो डेली वेजेज पर बहाली हुई, वे असिस्टेंट इंजीनियर बन गए और जो असिस्टेंट इंजीनियर हैं वह सेक्रेटेरियट के चक्कर लगा रहे हैं। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि अर्जेन्ट इस संचिका को खोज कर निकाला जाए और ये जो 149 जुनियर

इंजीनियरों की बहाली में करीब डेढ़ करोड़ रुपया घूस मंत्री से लेकर आफिसर तक ने खाया है, उसकी जांच जनता दल की सरकार को करानी चाहिए।

सभापतिः- यह किस समय की बात कर रहे हैं?

श्री अजीत सरकार :- 86-87-88 की बात कर रहा हूँ। सभापति महोदय, 1986 में 120 इंजीनियर.

सभापति :- आज की जो मांग है उस पर आप बात कीजिए, न कि 86-87 -88 की बात।

श्री अजीत सरकार :- सभापति महोदय, यह जो चिट्ठी मैंने पढ़ी वह 1990 की है। सबसे बड़ी बात है कि अगर गड़बड़ी हुई है तो अभी जो 1200 इंजीनियर आपके यहां दौड़ रहे हैं, वेटिंग लिस्ट में उनका नाम है, मेरिट में हैं दो नम्बर की बहाली अगर कांग्रेस के समय में हुई है तो जो गलत हुआ है, उसको सरकार नहीं पकड़ेगी? मैं मांग करता हूँ कि कांग्रेस के जमाने में डेढ़ करोड़ रुपया घूस लेकर जो डेढ़ सौ गलत बहाली हुई है उसको सरकार रद्द करें और अविलम्ब इसकी जांच करवाये।

श्री भगवान सिंह :- सभापति महोदय, सदन में जो मांग पेश है और उस मांग पर जो चर्चा चल रही है, उसमें भाग लेते हुए सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि पथ निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार है, मैं समझता हूँ कि बिहार की सारी जनता और बिहार के हरेक क्षेत्र से जो प्रतिनिधि चलकर यहां आते हैं, मैं समझता हूँ

कि सारे लोग इस बात को मानते होंगे। सभापति महोदय, मैं भोजपुर जिला से आता हूँ और भोजपुर जिले के पथों की जो स्थिति है, उसके बारे में मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय, से कहना चाहता हूँ कि इसी सदन में 1991 जून में जो असेम्बली चल रहा था, एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय, ने जवाब दिया था कि पथ का चौड़ीकरण अगले वित्तीय वर्ष में इसको जोड़ लिया जायेगा, चूंकि जी०टी० रोड से जुड़ी हुई है। सभापति महोदय, भोजपुर जिले में जो पथ प्रमंडल विभाग है उसमें इतना बड़ा घोटाला हुआ है मैं समझता हूँ अखबरों में भी ऐसा व्यान आया है कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया और उसके दौरान उस क्षेत्र के कनीय अभियंता, सहायक अभियंता स्पौर्ट पर पकड़ाये। घपलावाजी में 33 प्रतिशत कमीशन लेते हैं, काम गलत होता है। 23 लाख का अलकतरा बेच दिया गया भोज़पुर जिला में सभापति महोदय, हमलोगों ने उच्च पदाधिकारियों से इसक शिकायत की लेकिन अभी तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस सदन में माननीय सदस्यों द्वारा जो पथ निर्माण विभाग पर आरोप लगाये गये हैं, मैं इस बात से सहमत हूँ। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि ऊंचे पदाधिकारी नीचे के पदाधिकारियों के आरोप को प्रमाणित नहीं करते हैं; कार्रवाई नहीं करते हैं और सरकार के पास चिट्ठी जाती है तो उस पर मंत्री क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? उदाहरणस्वरूप, सभापति महोदय, भवन निर्माण के बारे में एक सूचना देना चाहता हूँ। भोजपुर जिले के कार्यपालक अभियंता को 1991-92 में 12 लाख रुपया जो राज्य सरकार से आवंटित हुआ था, उसमें से 8 लाख रुपये को उन्होंने घोटाला किया है, इनके विरूद्ध में भोजपुर के जिलाधि

कारी से शिकायत की गई, लेकिन सभापति महोदय, दुख की बात यह है कि भोजपुर के कलक्टर ने पैसे की खोज-बीन की और उसके संबंध में विभागीय मंत्री को एक पत्र दिया.....................

सभापति :- अब आप आसन ग्रहण कीजिए। आपका समय हो गया।

श्री भगवान सिंह :- सभापति महोदय, एक बात सुन लीजिए।

सभापति :- माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग ने सूचना दी है कि 4.15 अप० से हमको समय मिलना चाहिए। सरकार का जवाब होना बहुत जरूरी होता है और सरकार की बात सूनना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए अब आप समाप्त करें।

श्री भगवान सिंह:- सभापति महोदय, एक मिनट हमारी सूचना सुन लीजिए। सभापति महोदय, आठ लाख रुपया लेकर कार्य० अभियंता कंकड़बाग में बैठे हुए हैं, मंत्री महोदय, द्वारा उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

श्री हिन्द केसरी यादव :- सभापति महोदय, मैं व्यवस्था पर खड़ा हूँ, मेरी व्यवस्था सुन लीजिये। माननीस सदस्य श्री अजीत सरकार या माननीय सदस्य श्री भगवान सिंह अपनी बात कह गए, आसन का अपना महत्व है और सर्वोपरि है। और हमलोगों के रक्षक हैं इतने गंभीर मामले आ रहे है और उसको हम इस तरह से लाइटली ले रहे हैं, जैसा एक कहावत है ....

सभापति :- माननीय सदस्य, कौन क्या बोले, इस पर कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप कृपया बैठ जाएं।

श्री भगवान सिंहः- सभापति महोदय, यह सरकार ऐसे मामले पर कार्रवाई करने में सक्षम है?

सभापति :- अब इनकी कोई बात प्रोसिडिंग में नहीं जायेगी।

श्री ओम प्रकाश लालः- सभापति जी, मैं कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ। मैं छोटानागपुर के धनबाद जिला से आता हूँ। धनबाद जिले में और छोटानागपुर में जितने भी जिले हैं, सबों में खनिज भरे पड़े हैं। वहां से रोआयल्टी और सेस के मामले हैं। वहां से एक बार सेस बन्द हुई कि बिहार की स्थिति गड़बड़ा गयीं स्थिति यहां तक गड़बड़ा गयी कि पूरे प्रदेश का डेवलैपमेंट रूक गया हम बात कर रहे है आज पथ निर्माण, भवन निर्माण और आवास विभाग का संयुक्त रूप से ! हम तीनों विभागों पर बहस करने के लिये खड़े हुये हैं। हुजूर, जब आप देखेंगे कि धनबाद जहां साढ़े चार सौ करोड़ रुपये सेल्स डिपार्टमेंट और साढ़े चार सौ करोड़ रुपये भुगतान विभाग और 15 सौ करोड़ से तीस करोड़ रुपये तक दूसरे दूसरे विभाग को मिला है। कांगेस के जमाने में 17 करोड़ रुपये धनबाद जिला के लिये आवंटन किया गया था कांग्रेस सरकार के जमाने में उसमें उस वक्त जो क्षमता थी, उसके मुताबिक चार करोड़ रुपये दिया गया आज हमारे मुख्यमंत्री कोयला सेस के लिये चिल्ला रहे हैं। जनता दल की सरकार के समय में सड़कों की हालत बदतर हो गयी है। आप देखेंगे कि धनबाद जिला के कोयला क्षेत्र में पुटकी भाया भौराडीह सुदामाडीह, पाथरडीह, फुसबेंलो सहित पथ का निर्माण करना था, उसी तरह धनबाद पाथरडीह-सिंढरीपथ और तीसरा राजगंज-कतरास-जामडीहा पथ है। इस

पथ होकर लाखों लाख टन कोयला उत्पादन क्षेत्र में जाता है। लेकिन इस तरह से भेदभाव बरता जा रहा है, जो छोटानागपुर के लोगों में असंतोष की भावना बढ़ेगी ही! उसी तरह नेशनल हाई वे पर यहां तक रिपेयर पर जो पैसा लगाना था, वह नहीं लगाया जा रहा है उसी तरह चीनी मिल के लिये 20 करोड़ रुपया, चीनी मिल के लिए , खनिज क्षेत्र के लिये था। उसमें मात्र एक करोड़ 41 लाख रुपया दिया गया है। सभापति जी, आइटम न० 3 पर भवन विभाग की ओर अनुमंडलीय कारा भवन के लिये 18 लाख रुपये का उपबन्ध है, तो जब बाघमारा अनुमंडल ही नहीं हैं तो अनुमंडलीय कारा का निर्माण क्या होगा? उतना ही नहीं सभापति जी, विश्व का, एशिया का और हिन्दुस्तान का सबसे बड़े आबादी वाला कोलौनी कंकड़बाग की स्थिति का जरा आप देखें तो इस सरकार का चेहरा साफ नजर आ जायेगा वहां एक दिन पानी बरसने पर ही नारकीय जीवन हो जाता है। सड़कों की हालत बदतर है। इन्हीं शब्दों के साथ क़टौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री राम जतन सिन्हा :- सभापति महोदय, परम्परा रही है कि जिन माननीय सदस्यों का कटौती प्रस्ताव है उनको बोलने का मौका दिया जाता है। सभापति महोदय, 10 दिन पहले कटौती प्रस्ताव की सूचना दे दी जाती है। सरकार का कर्त्तव्य हो जाता है कि इसकी पूरी छानबीन कराकर प्राक्कलन बनाकर सदन को सूचित करे। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि कटौती प्रस्ताव सं० 432 जहानाबाद जिला के अन्तर्गत मुखदुमपुर-सागरपुर-गुलावगंज पथ, जहानाबाद-अरवल जहानाबाद- गया पथ में बरघा एवं मोरहर नदी पर पुल निर्माण के संबंध में है। यह

आर०ई०ओ० का बहुत ही महत्वपूर्ण पथ है इसमें पड़ने वाले जो पुल हैं उसको अधिग्रहण किया जाय। कटौती प्रस्ताव सं० 435 टेहटा, टोटा पथ में यमुने नदी पर पुल निर्माण के संबंध में है। सभापति महोदय, नवगढ़ सेवती रोड में मोरहर नदी पर पुल की आवश्यकता है और कुर्था-लारी पथ रोड में पुल है, उसके निर्माण की आवश्यकता है। मखदुमपुर पाउबिगहा-धेजन पथ के बरघा एवं मोरहन नदी पर पुल निर्माण की आवश्यकता है। इस ओर हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। सभापति महोदय, ये विधान-सभा विधायकों के लिए है गुंडा लोगों के लिए नहीं है, वहां जो बीच में बैठे हुए हैं।

सभापति :- अब आप अपना भाषण समाप्त करें।

(व्यवधान)

सभापति :- आप लोग निर्दलीय में हैं। जनता दल का नाम जनता दल के लिस्ट में हैं । हमने हरि लाल जी का नाम पुकार दिया है।

श्री राजो सिंह :- निर्दलीय लोगों की सूची अलग से होनी चाहिए। इसमें आसन को कठिनाई हो जाती है।

सभापति :- आसन की ओर से जो मान्यता प्राप्त पार्टी है उसका लिस्ट अलग होता है। जो निर्दलीय होते हैं उनका नाम अलग से आना चाहिए।

श्री हरि लाल प्रसाद सिन्हा :- सभापति महोदय, सदन में जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसके समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सभापति जी, दुर्भाग्य या सौभाग्य कहिए हम निर्दलीय जीतकर आये और आज जनता दल

के साथ हैं। हम जिस क्षेत्र से जीत कर के आये हैं वह है जहानाबाद जिला जो उग्रवाद की चपेट में है। इस क्षेत्र में 1992 तक लगभग 162 हत्याएं हुई। आशा थी कि जितने भी सड़के हैं उसको प्रशासनिक दृष्टिकोण से जनता दल की सरकार जोड़ने का काम करेगी लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम जहाँ के है उसके बगल में दो-तीन पंचायत है। जो छोटे-छोटे टोले है जहां विगत वर्ष 30 हत्याएं हुई केवल पुरूष ही नहीं मारे गये महिलाएं और बच्चे भी मारे गये थे। 80 से 92 हो गये लेकिन जो तीन कच्ची सड़के थीं वह भी आज तक नहीं बन पायी।

सभापति जी, देहाती क्षेत्र में उग्रवादी लोग रहते हैं, वहां ओ०पी०भी० है, अगल- बगल में नदी है। बरसात के दिनों में नदी को पार कर जाना पड़ता है, इसलिये मैं सरकार से मांग करता हूँ कि सरकार जहानाबाद के उग्रवाद इलाके में कम-से-कम कच्ची सड़क बनावे, नदियों पर पुल बनावे और जिला मुख्यालय तथा थाना को सड़क से जोड़ दिया जाय। मैं 1985 से ही बिहार के शासन से कह रहा हूँ, लेकिन आज तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ, पुल का निर्माण नहीं हुआ, सरकार अतिशीघ्र सड़क एवं पुल का निर्माण करावे।

श्री राम विचार राय :- सभापति महोदय, मैं सरकार के द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। जनता दल की सरकार ने लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में जो काम बिहार में किया है, उतना काम कांग्रेस के सरकार में कभी नहीं हुआ था । इसलिये इन लोगों को इस बात का डर है कि मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद ने इतना बड़ा काम किया है। कांग्रेस के लोगों ने

गाँधी मैदान बेचने का काम किया लेकिन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने गाँधी मैदान में महात्मा गाँधी की प्रतिमा लगाने का काम किया है। अम्बेदकर जी का प्रतिमा लगाने का काम किया है।

सभापति :- आप नये माननीय सदस्य हैं। जिस विभाग की मांग है, उसी विभाग के संबंध में आप बोलें।

श्री राम विचार राय :- सभापति महोदय, मैं भवन निर्माण पर ही बोल रहा हूँ। सभापति महोदय, कांग्रेस पार्टी की सरकार में पटना बाईपास बनी थी लेकिन उसका हालत जर्जर थी हमारे मंत्री श्री इलियास हुसैन के समय में जिस तत्परता से सड़क बनायी गई कि आप जहां चाहे, सड़क से पहुंच सकते हैं। यह बात गलत है कि वे काम नहीं करते हैं और उन पर जो आरोप लगाया जा रहा है, वह बिल्कुल गलत है। चूंकि माननीय मंत्री पैरबी नहीं सुनते हैं, इसलिये इन पर आरोप लगाया जा रहा है।

सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य बोल रहे थे कि लालू प्रसाद सिर्फ घोषणा करते हैं, कोई काम नहीं हो रहा है, यह गलत है।

श्री सुरेश प्रसाद यादव :- सभापति महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव का समर्थन करते हुये अपनी बात एक मिनट में कहकर समाप्त करने जा रहा हूँ। हमारा विधान सभा क्षेत्र कटोरिया है। कटोरिया से सिमतल्ला जाने वाली सड़क में कई नदियां है।- बदुआ, रंगा और घरवा है, लेकिन इन तीनों नदियों पर पुल नहीं रहने के कारण यहां के लोगों को आवागमन में काफी कठिनाई

होती है। इसलिये मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि इन नदियों पर पुल बना दे, पुल बन जाने से भागलपुर से धनबाद पथ ज़ो हंसडीहा होकर जाती है, उसकी दूरी 30-40 कि०मी० कम हो जायेगी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है, सरकार इसको पैसा देकर बनवा दे। सरकार सब पैसा पी०एल० एकाउन्ट में रखती है, इसलिये मैं सरकार से मांग करता हूँ कि फंड देकर इन नदियों पर पुल बना दे। पी०एल० एकाउन्ट में सरकार पैसा नहीं रखे , उस पैसे को अपने फंड में रखकर पूरा-का-पूरा पैसा खर्च करे और इस पुल को बनवा दे। माननीय मंत्री अपने जवाब में इस बात का उल्लेख करेंगे।

श्री राम नरेश सिंह :- सभापति महोदय, मैं राजो बाबू के कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूँ और सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ। सभापति महोदय, अभी दो-चार माननीय सदस्यों ने विभाग और विभागीय मंत्री पर आरोप लगाया है, मैं उससे बहुत क्षुब्ध हूँ। इस मामले में बिहार में पहली बार विभागीय आयुक्त, अभियंता प्रमुख, मुख्य अभियंता और माननीय मंत्री गली-गली में घुमे हैं और सड़कों का निरीक्षण किया है। इससे लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि कबिना स्तर के मंत्री, आयुक्त और मुख्य अभियंता लालटेन लेकर सड़क का निरीक्षण किया और सड़क निर्माण का काम शुरू किया। मैं इनकी झूठा प्रशंसा नहीं करता। ये आरोप लगाते हैं कि इन्होंने लाखों, करोड़ों रुपये लूट लिये। मैं अपने माननीय सदस्यों की बात का खण्डन नहीं करना चाहता । मैं कहना चाहता हूँ कि ब्लैकमेलिंग करके सरकार का समर्थन नहीं करें और सरकार को भी चाहिये कि चुनाव कराकर फैसला कर ले कि जनता क्या चाहती है?

ब्लैकमेलिंग करके सरकार का समर्थन देना कोई नीति नहीं है और न कोई नैतिक कर्त्तव्य है।

(इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय, ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष महोदय, बिहारशरीफ के नालन्दा जिला में एक अभियन्ता हैं श्री श्यामनन्दन सिंह, जिनके संबंध में सदन में उल्लेख किया गया है और यह आरोप लगाया गया है कि माननीय मंत्री ने पैसा लेकर आदेश दिया। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उनकी बदली के बारे में मैंने मुख्यमंत्री से कहा कि इनकी बदली किस आधार पर की गई इसमें आपके अधिकार का हनन हो रहा है? हमने मुख्यमंत्री जी यह भी कहा कि न्याय है अगर वह चोर और बेईमान है तो सस्पेंड होगा। इसकी जांच करायी जाये और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कोई कार्रवाई की जाय। रुपया लेकर उनके स्थानान्तरण रोकने की बात असत्य है, गलत है, बे-बुनियाद है।

श्री रणवीर यादव :- अध्यक्ष महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव के विरोध में और मांग के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ। मैं मानता हूँ कि सरकार की मंशा नये बिहार बनाने की है। अध्यक्ष महोदय, यह सर्वविदित है कि कांग्रेसी सरकार के समय में काफी लूट-खसोट की गई है, और उसको सवारने में समय लगेगा लेकिन सरकार की मंशा साफ है। वह व्यवस्था कर रही है, जिसकी मैं सरकार का सराहनीय कार्य मानता हूँ। सरकार ने जो संकल्प राज्य के विकास के लिये लिया है उसके लिये मैं सरकार को बध ाई देता हूँ और मुख्यमंत्री को भी बधाई देता हूँ।

श्री रणवीर यादव :- अध्यक्ष महोदय, मैं, खगड़िया जिला के तरफ सरकार का ध्यान आपके माध्यम से आकृट करना चाहता हूँ। खगड़िया जिला सम्पूर्ण बिहार में सबसे छोटा जिला है जो अत्यन्त पिछड़ा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, जी प्रतिवेदन विकास योजनाओं के संबंध में वितरित किया गया है, उसमें खगड़िया जिला में एक सौ नयी योजना लेने का जिक्र नहीं है। अध्यक्ष महोदय, भवन निर्माण विभाग के द्वारा कार्य पूरा करने के संबंध में जो रिपोर्ट बांटा गया है, उसमें कार्यपालक अभियंता के आवास को पूर्ण दिखलाया गया है, लेकिन वह अपूर्ण है, यह मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि एन०एच० -31 की सुरक्षा के लिये एक गार्ड बांध बनाया जा रहा है, उसमें बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है। प्राक्कलन के मुताबिक काम नहीं हो रहा है।

डा0 शकील अहमद :- अध्यक्ष महोदय, सरकार ने घोषण की थी कि हर प्रखंड को जिला अनुमंडल मुख्यालय से सड़कों द्वारा जोड़ा जायेगा। हमारे क्षेत्र में विस्फी प्रखण्ड को अनुमंडल मुख्यालय बेनीपट्टी से अब तक नहीं जोड़ा गया है। मैं मांग करता हूँ कि विस्फी भाया तीसीनरसाल बेनीपट्टी पथ जो आर०ई०ओ० का रोड है, उसकी पी० डब्लू० डी० में लेकर शीघ्र बनाने की व्यवस्था की जाय।

श्री कृष्ण देव सिंह यादव :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहता हूँ कि हमारे माननीय पथ निर्माण मंत्री हमारे क्षेत्र के लोदीपुरवा गांव में गये थे और लोदीपुरबाजार से हिलसा होते हुए नुरसारय तक 25 कि०मी० जो आर० ई०डी० का रोड है, उसको पी०डब्लू०डी० में

लेकर बनाने की घोषण दस हजार जनता के बीच आपने किया था। वह रोड यदि नहीं लिया गया और नहीं बना तो सरकार की छवि धूमिल होगी, माननीय मंत्री की छवि धूमिल होगी। अतएव मेरा अनुरोध है कि इस पथ को बनवा दें।

श्री रघुवश प्रसाद सिंह :- अध्यक्ष महोदय, बारूण से दाउदनगर पथ है वह पी०ढब्लू०डी० का पथ है, उसकी हालत जर्जर है, इसका निर्माण कराया जाय। दूसरी सड़क अम्बा से नवीनगर पी०डब्लू०डी० की है जो कई जगहों पर टूटा हुआ है और आवागमन अवरूद्ध है, इसका निर्माण कराया जाय। अम्बा से देव तक तथा ओरंगाबाद से नवीनगर तक दोनों पथ आर०ई०ओ० का है इसको लोक निर्माण विभाग में लेकर बनवाया जाय। नवीनगर में पुनपुन नदी पर पुल टूटा हुआ है, उसको अविलम्ब बनावाय जाय।

श्री रविन्द्र चरण यादव :- अध्यक्ष महोदय, मुरलीगंज से बिहारी गंज पथ करीब 25 कि०मी० पथ में लक्ष्मीपुर से कुशथन (बिहारीगंज) तक करीब 4-5 कि०मी० आर०ई०ओ० का पथ है को पथ निर्माण विभाग में मिलाया जाय। मुरलीगंज से बिहारी गंज तथा बिहारीगंज से उदाकिशुनगंज पथ का सुदृढ़ीकरण किया जाय एवं ग्वालपाड़ा से लक्ष्मीपुर आर०ई०ओ० पथ के 9 वे० कि०मी० पथ को पथ निर्माण विभाग में लिया जाय। बड़हड़ा से बिहारीगंज पथ का निर्माण कराया जाय।

श्री मो0 इलियास हुसैन :- अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जो यह शुभ अवसर दिया है, इसके लिये मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। चूंकि मैं बीच में ही आ गया, लोक निर्माण विभाग का बजट माननीय भवन निर्माण मंत्री ने पुट

किया । सारे अटैक, कभी और हम पर आये। चूंकि हमें जवाब देना हे, इनकी शिकायतों को दूर करना है तथा जिन साथियों ने हमें रास्ता दिखाया हे, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। आपके आसन के समझ, इस 8 करोड़ जनता के बड़े पंचायत में, जन प्रतिनिधियों और विधायकों के बीच में बा- अदब मैं अपनी फरियाद पेश करना चाहता हूँ। गौर फरमाया जाय मैं फैक्ट एवं फिगर देना चाहता हूँ। मैं किसी की आलोचना नहीं करूंगा। माननीय सदस्यों से सिर्फ यही आग्रह करूंगा कि कम से कम ध्यानापूवर्क मेरी बातों को सुने।

मैं सड़क हूँ मुझे नहीं समझें। मैं सीना तान कर सोया रहता हूँ, आप पेरों तले कुचलते हुए पार कर जाते हैं और मैं आह तक नहीं भरता हूँ। इसके बावजूद भी आप मुझे नहीं बरसते हैं। सब कोई गंगा स्नान करता है, मैं सड़क हूँ आप पर से गन्दा निकालकर मल-मुत्र हमारे सीने पर फेंकते हैं शान-शौक से। इससे भी मन नहीं भरता है तो मुझे, सड़कों को रंगने के लिए कुड़ा-कचड़ा , गन्दा उठाकर फेंक देते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि करोड़ों अरबों रुपया सड़कों में लगता है दो दिलों को, दो मंजिलों को जोड़ने के लिए जो धरोहर पेश करता हूँ, जो आवागमन का साधन बनाता हूँ उसमें आपको भी सहयोग करना है। मैं बनाता हूँ आपका सहयोग उसको बचाना है। प्राकृतिक आपदाओं को तो मैं झेलता ही हूँ कोसी नदी बिहार की शोकवाहिनी नदी मानी जाती है मैं सदा बाढ़ से प्रभावित होता रहता हूँ। उत्तर बिहार में तो इस तरह से प्रभावित होता हूँ जिसका हमारे पास कोई मुकाबला नहीं हैं

जिस दुर्गति से हम दर-बदर हो रहे है वह किसी से छिपा नहीं है।

1990 में हमलोगों ने हुकूमत सम्भाला । कुल 15760 कि०मी० पी० डब्लू०डी० का रोड हमलोगों को मिला। मैं फैक्ट देता हूँ 90-91 में जो 15760 कि०मी० सड़क मिली उसमें डबल लेन 735 कि०मी० सिंगल लेन 13225 कि०मी० और डेढ़ लेन 1800 कि०मी० मिला। 15760 कि०मी० रोड में 7065 कि०मी० रोड हमको ऐसा मिला धरोहर के रूप जो मोहर जोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में मिले अवशेषों से भी बदतर था इस वित्तीय संकट के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से हमने इसको सुधारा और 92-93 वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में जो 7065 कि०मी० खराब से खराब रोड या उसमें कमी लाया और वह घटकर 3028 कि०मी० हो गया। यानि दो वर्षों की अवधि में हमने 4037 कि०मी० पथों को सुधारा और मोटरेबल बनाया।

अध्यक्ष महोदय, हमारे पुल निर्माण निगम के चेयरमैन ने बजा फरमाया है, वे बड़े रफ्तार से बोल रहे थे , मैं धीमे रफ्तार से बोल रहा हूँ। मैं पूरी की गई योजनाओं के बारे में कहना चाहता हूँ कि हमने 13 पुलों को कम्पलीट किया है जिसमें 3 पुल जनजाति क्षेत्र में है 18 पक्षों को पूरा किया है जिसमें 6 पथ जनजाति क्षेत्र में हैं वित्तीय कमी के कारण बहुत से पुल पूरा नहीं हो पाये हैं। इस पुलों के नाम है-, औरंगाबाद- दाउदनगर पथ में ओबरा पुल, विक्रमगंज- डुमरांव पथ में काब नदी पर पुल, दुलहिन बाजार-किंजर पाली पथ में पुनपुन नदी पर पुल, सिवान-गोपालगंज पथ में दाहा नदी पर पुल और गार-गुराई पथ में राना नदी पर पुल।

अध्यक्ष महोदय, 1992-93 में भी हम पथ बनाने जा रहे हैं और बहुत पथों को बनाकर चालू भी कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, ऐसा ऐतिहासिक कार्य मुख्यमंत्री के सहयोग से 8 करोड़ बिहावासियों के लिए किया गया है, जिसे 1952 से लेकर आज तक जिनलोगों ने भी हुकूमत किया, नहीं कर पाये। वैसे लोगों के कारगुजारियों का मैं जिक्र करना चाहता हूँ जिन लोगों ने 1952 से लेकर आज तक हुकूमत चलाया लेकिन कुछ काम नहीं किया। भागलपुर में गंगा नदी पर पुल बनाने का काम भागवत झा आजाद जी, जो वहां के रहनुमा कहे जाते हैं और मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, नहीं कर सके थे। लेकिन इस वित्तीय संकट के बावजूद भी हमारे मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी के सहयोग से विश्व बैंक के सहयोग 78 करोड़ की योजना स्वीकृत कराकर पिछले साल काम शुरू कराया गया। पुल की लम्बाई 4366 मीटर है, उसने 8 पुल प्रगति पर है, कुल गलाई 120 फीट है।

मरहुम महेश बाबू 1952 से ही चिल्लाते -चिल्लाते थक गये, लास्ट में सत्येन्द्र बाबू ने शिलान्यास किया लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। वह काम इस वित्तीय संकट में ही लालू प्रसाद जी के सहयोग से 12 करोड़ रुपया देकर रेवाघाट पर पुल निर्माण का काम शुरू कराया गया। यह 937 मीटर लम्बा पुल है। 11 कूभ प्रगति पर है और 600 फीट गलाई है। इससे उत्तर बिहार और यू०पी० के लोगों को फायदा होगा, 2-3 करोड़ लोगों को आवागमन में फायदा होगा।

अध्यक्ष महोदय, चतरा गोसाईडीह डोभी पथ में लिलाजन पुल का शिलान्यास 1979 में किया गया, 1979 से लेकर 1989 तक इस पुल का कहीं कोई

नामोनिशान नजर नहीं आ रहा था। इन दो वर्षों में मुख्यमंत्री के सहयोग से पैसा का इन्तजाम करके इस पुल ज़िसकी लम्बाई 210 मीटर है, 1 करोड़ 52 लाख रुपया भुगतान कराकर चालू करा दिया गया। 10 साल में यह चालू नहीं किया जा सका था। अध्यक्ष महोदय, लालू प्रसाद के नाम से इनमें हड़कम्प मच जाता है। लालू यादव अपने-आप में एक करिश्मा हैं। कई वर्षों से बिहार की कई योजनायें फंड के अभाव में शुरू नहीं हो पा रही थी, भारत सरकार के समाने पिछली सरकार केवल फ़रियाद किया करती थी सेन्ट्रल ऐड से कुछ स्कीम दे लेकिन वह नहीं मिला। परन्तु मिट्टी के लाल, लालू प्रसाद यादव ने मगरदेही पुल के लिए 220 करोड़ रुपया भारत सरकार से छीन लिया। यह पुल समस्तीपुर-दरभंगा पथ में है। पिछले साल हमलोगों ने इसकी बुनियाद डाली है। यही नहीं अध्यक्ष महोदय, बरियाही घाट पर 3 करोड़ रुपये के पुल का शिलान्यास उसी रोज माननीय मुख्यमंत्री ने किया। सहरसा सोनबरसा - डुमरी पथ पर 3 करोड़ की लागत से लगमाधार पुल का भी शिलान्यास उसी दिन किया। मैं सारे माननीय सदस्यों को इस बात से अवगत करा देना चाहता हूँ कि मैं क्रिकेट खेलता तो नहीं हूँ लेकिन क्रिकेट खेल का कमेन्टरी सुनता हूँ, आप भी सुनते होंगे। जब एक बौलर तीन प्लेयर को लगातार आउट कर देता है तो है ट्रिक बन जाता है। लालू प्रसाद यादव ने एक ही रोज में लगातार तीन बड़े आकार के पुलों का शिलान्यास करके पुल निर्माण के इतिहास में हैट्रिक बनाया है।

अध्यक्ष महोदय, सेन्ट्रल रोड फन्ड से ब्रहम्पुर कोरान सराय 24 कि०मी० लम्बे पथ का कार्य प्रगति में है। महोदय, ओवरसीज इकोनोमिक कारपोरेशन फंड जापान से पैसा लेकर बिहारशरीफ से हिसुआ पथ को पुरा किया गया

है। इसमें जापान से 30 प्रतिशत पैसा मिला है और बाकी पैसा हम लगाये हैं। एक नई चीज जो इतिहास बतलायेगा, आदमी गुजर जाता है लेकिन उसकी करनी याद रहती है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एन०डी०तिवारी ने सड़कों का निर्माण कराया था, उसी तरह से हमारे मुख्यमंत्री की जी उपलब्धि है उसका जीता जागता उदाहरण पटना की सड़कें हैं। हाटमिक्स प्लांट से गायघाट और पुलवारीशरीफ बेली रोड , टेलर रोड मोड से संस्कृत विद्यापीठ, डाकबंगला से जे०पी० गोलम्बर, फ्रेजर रोड, न्यू डाक बंगला रोड, हार्डिंग रोड, स्ट्रैण्ड रोड, बहादुरपुर गुमटी प्रेमचंद रंगशाला शहीद जगदेव पथ से सगुना मोड़ दानापुर तक सड़को का निर्माण किया गया। यहां तक कि आनरेबुल हाईकोर्ट के प्रामंण में भी हमने इसी तरह का पथ बनाया है। हुजूर मेरी सेवा का आलम यह है कि बिहार के पथों को दुरूस्त करते-करते आपके दरवाजे पर आ गया हूँ। बिहार विंधान-सभा के प्रागंण में भी इतना मोटा और चिकना रोड बनवा दिया हूँ जैसा कभी नहीं बनाया गया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, के प्रागंण और माननीय राज्यपाल महोदय, के प्रागंण में भी इसी तरह का रोड बनवाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय, विकास का एक आईटम दे रहा हूँ जिसे माननीय सदस्यों को नोट करना चाहिए। मैं अंचलवाईज दे रहा हूँ। दरभंगा अंचल में हमें मिला था 699 कि०मी० जिसमें 91-92 में सुधार किया गया 442 कि०मी० का और बचा 257 कि०मी० । पूर्णियां अंचल में हमें मिला 588 कि०मी० जिसमें 1991-92 में सुधार किया गया 328 कि०मी० का और बचा 260 कि०मी० । छपरा अंचल में हमें मिला 516 कि०मी० जिसमें 91-92 में सुधार किया गया 173 कि०मी० का और शेष बचा 343 कि०मी० ।

सहरसा अंचल में हमें खराब पथ 461 कि०मी० मिला जिसमें 91-92 में 344 कि०मी० में सुधार किया गया और अभी 117 कि०मी० बचा हुआ हैं मुजफ्फरपुर अंचल में हमें खराब पथ 673 कि०मी० मिला जिसमें वर्ष 91-92 में 236 कि०मी० में सुधार किया गया और 437 कि०मी० बचा हुआ है। इसी तरह, अध्यक्ष महोदय, भागलपुर अंचल में कुल 330 कि०मी० खराब सड़कें हमें मिली थी जिनमें हमने 91-92 में 159 कि०मी० में सुध ार कार्य कर लिया है और शेष 171 कि०मी० इसके लिए बचे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, नई राजधानी पटना अंचल में हमें 206 कि०मी० खराब पथ मिले जिसमें 125 कि०मी० को दुरूस्त कर दिया गया है और अभी मात्र 82 कि०मी० बचे हुए हैं। भोजपुर अंचल में हमें 787 कि०मी० खराब पथ मिले जिसमें 602 कि०मी० रोड को दुरूस्त करने का काम हमने वर्ष 91-92 में कर दिया है। और 184 कि०मी० बचे हुए हैं। मगध अंचल में हमें 791 कि०मी० खराब रोड मिले, हमने वर्ष 91-92 में इनमें से 599 कि०मी० को दुरूस्त करने का काम कर दिया है और अभी 192 कि०मी० बचे हुए है। अध्यक्ष महोदय, राँची अंचल में कुल 670 कि०मी० खराब रोड हमें मिले और हमने इनमें से 195 कि०मी० रोड को दुरूस्त करने का काम कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, जमशेदपुर अंचल में इसी तरह कुल 325 कि०मी० खराब रोड हमें मिले थे और हमने 93 कि०मी० रोड को दुरूस्त कर दिया है। इसी तरह से दुमका अंचल के कुल 397 कि०मी० खराब पथों में से 203 कि०मी० पथों को दुरूस्त करने का काम कर दिया गया है। वर्ष 91-92 में और हजारीबाग अंचल में 622 कि०मी० खराब सड़कों में से 538 कि०मी० को वर्ष 91-92 में ठीक किया गया है। यह

पथ निर्माण विभाग की उपलब्धि है।

अध्यक्ष महोदय, मैं अब राष्ट्रीय उच्च पथों के बारे में बताना चाहूंगा जिसका लेखा जोखा भारत सरकार रखता है। हमारा विभाग मात्र उसका एजेंसी है और इस बात का ध्यान रखता हूँ कि अच्छा रोड बना कर दूं। अध्यक्ष महोदय, बिहार में जो नेशनल हाईवे का पथ है, उसकी कुल लम्बाई यहां 2118 कि०मी० है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, नेशनल हाईवे का 2118 कि०मी० हमें मिला है। इस 2118 कि०मी० नेशनल हाईवे के 6 सौ कि०मी० का कहीं नामोंनिशान नहीं था। हमें भारत सरकार ने जो 2118 कि०मी० राष्ट्रीय उच्च पथों की रखरखाव के लिए जिम्मेदारी दी है, उसमें यह 600 कि०मी० रोड था ही नहीं और यह बिहार के लिए एक कलंक बना हुआ था। वर्ष 1990-81 और 1991-92 में हमनें दिन रात मेहनत कर के इन 600 कि०मी० था ही नहीं और यह बिहार के लिए एक कलंक बना हुआ था। वर्ष 1990 -91 और 1990-91 में हमने दिन रात मेहनत कर के इन 600 कि०मी० में से 550 कि०मी० रोड को ठीक कर दिया और अब मात्र 50 कि०मी० रोड दुरूस्त करने के लिए बचे हुए हैं, जो हम शीघ्र ठीक करेंगे।

(व्यवधान)

श्री राजो सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वांयट औफ आर्डर है। वह यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जीने इसी सदन में घोषणा की थी कि पटना से

भागलपुर, मुजफ्फरपुर आरा जाने के लिए अच्छा रोड बनाया जाएगा, जो हेमामालिनी की गाल की तरह का होगा, उस घोषणा का क्या हुआ?

श्री मो0 इलियास हुसैनः- अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जिस विषय को जानना चाहते हैं, मैं उस पर भी आ रहा हूँ तो मैं कह रहा था कि नेशनल हाईवे की 2118 कि०मी० सड़कों में से 600 कि०मी० खराब सड़कों में से 550 कि०मी० की दुरूस्त ,किया जा चुका है और अब मात्र 50 कि०मी० ठीक करने के लिए बचे हुए हैं, जिन्हें हमें ठीक करना है। हम इसे भी आगामी वित्तीय वर्ष 1992-93 में ठीक कर देंगे।

अध्यक्ष महोदय, जिन रोडों को हमने ठीक किया है, उनमें भारत सरकार के पथों में से एन०एच० -28 का बरौनी गोपालगंज का 145 कि०मी० है, जिसमें बरौनी में 6 कि०मी० और मुजफ्फरपुर- पिपराकोठी में 80 कि०मी० विशेष मरम्मति के लिए था। इसी तरह एन०एच० 28 ए० में पिपरा से छपवा तक जाने वाली सड़क में 40 कि०मी० सामान्य मरम्मति की गयी। एन०एच० 31 में बेगुसराय से किशनगंज तक जाने वाली सड़क में 150 कि०मी० रोड ठीक किया गया और विशेष मरम्मति किशनगंज में 471 से 476 कि०मी० तक और बैंसी में 435 से 437 कि०मी० तक की गई। पसराहा में 298 से 305 कि०मी० तक वर्क प्रगति में है और बेगुसराय में 227, 228,229 से 231,296 से 297 , 380 से 420 कि०मी० में विशेष मरम्मति कर के रोड बनाया गया। एन०एच० 31 में जो कार्य की प्रगति है, उसके बारे में वहां के माननीय सदस्य अपने दिल पर हाथ रख कर धर्म और ईमानदारी से बतायें कि किशनगंज से लेकर बरौनी तक के रोड की

आज क्या हालत है?

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से एन०एच०-2 में 55 किलोमीटर दुरूस्त किया गया। इसरी बाजार, तोपपांची, निरसा, बंगला बोर्डर पथ में, 46.5 कि०मी० से 80 कि०मी० में सामान्य मरम्मति का कार्य किया गया एन०एच० में बहड़ागोड़ा में 20 कि०मी० एन०एच०- 23 में राधे टाटा में 4 किलोमीटर एन०एच०- 23 में 50 कि०मी० बोकारो रामगढ़ रोड में 0 कि०मी० से 22. 8 कि०मी० तक और राँची बांस जोड़ गुमला रोड में 0 कि०मी० से 40 कि०मी० तक सामान्य मरम्मति का कार्य किया गया और चौड़ीकरण का कार्य प्रगति पर है। इसी तरह बोकारो रामगढ़ रोड में 22.8 कि०मी० से 34.8 कि०मी० तक कार्य प्रगति में है। राँची बासजोर में 27.41 कि०मी० से 36.8 कि०मी० तक कार्य प्रगति में है। और एन०एच० 32 में बोकारो पुरूलिया पथ में 17-18 कि०मी० दुरूस्त किया गया।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जिसको माननीय सदस्यों को सुनना चाहिए। अन्य राज्यों की तुलना में हमारे राज्य को फंड कम मिला है भारत सरकार से । जब मैंने फंड की मांग की और उसके बाद राज्य सभा में क्वेंश्चन किया गया, मैं सदन से गुजारिश करना चाहता हूँ और यह कहना चाहता हूँ कि एन०एच० का करीब 2118 कि०मी० रोड क्या सात-आठ करोड़ रुपये से दुरूस्त हो सकता है? मैंने मांग की भारत सरकार से कि उत्तर प्रदेश की तरह हमें भी 80 करोड़, सौ करोड़ रुपया दे। इस बीच राज्य सभा में क्वेश्चन किया गया तो जवाब में वहां के मंत्री महोदय, ने कहा कि बिहार सरकार को रुपया देते हैं लेकिन बिहार सरकार

खर्च नहीं करती है और उसे लौटा देती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के माननीय सदस्यों के समक्ष इसके बारे में आंकड़ा रख देना चाहता हूँ। 1987-88 वर्ष में 4.00 करोड़ स्वीकृत हुआ, आवंटन हुआ- 16.75 करोड़ व्यय हुआ 12.75 करोड़ और 4 करोड़ रु० सरेन्डर किया गया। 1988-89 वर्ष में 4.65 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ, आवंटन हुआ- 12.00 करोड़ व्यय हुआ 10.25 करोड़ और सरेन्ड़र हुआ 1.75. करोड़ रु० । 1989-90 वर्ष में 28.33 करोड़ स्वीकृत हुआ, आवंटन हुआ 12.00 करोड़, व्यय हुआ -6.99 करोड और सरेन्डर हुआ 5.00 करोड़ रुपया। 1990-91 में 16.62 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ, आवंटन हुआ 8.00 करोड़ और हमने व्यय किया 10.85 करोड़ रुपया। 1991-92 वर्ष में 18.74 करोड़ स्वीकृत हुआ, आवंटन हुआ 11.42 करोड़ रुपया और हमने व्यय किया 13.42 करोड़ रुपया । इस तरह से आप देखेंगे कि वर्ष 1990-91 और 1991-92 में जितनी राशि स्वीकृत की गयी, उससे कम हमें आवंटन मिला और जितना आवंटन मिला, उससे ज्यादा का हमने काम कराया।

अध्यक्ष महोदय, हमने अपने क्रातिकारी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार से फंड और बढ़ाने के लिये लड़ाई लड़ी। चपरासी की तरह दिल्ली की गलियों में दौर लगाता रहा। हमारे मुख्यमंत्री जी, इंजीनियर इन चीफ ने बिहार को और ज्यादा फंड मिले, इसके लिये काफी मेहनत की, जिसका नतीजा यह हुआ है कि हमारी योजना 50 करोड़ की स्वीकृत हुई है। 30 करोड़ की योजना अभी वहां पर पेन्डिंग है वित्तीय संकट के कारण । हम एक अरब की योजना स्वीकृत कराकर बिहार के सड़कों को दुरूस्त करेंगे।

मैं कहना चाहूंगा कि बिहार में रोड देखने में किसी से कम नहीं रहेगा। अध्यक्ष महोदय, हमने एलान किया है हॉट मिक्स प्लान्ट की जो 14 मशीनें हैं ये मशीनें 38-40 वर्ष पुरानी हैं। इस मशीन का औसत प्रति मशीन का कार्य प्रति वर्ष 1989-90 में 107 घंटा प्रति वर्ष था, 90-91 में जब मैं आया उसी मशीन से 192 घंटा और 91-92 में 338 घंटा प्रति वर्ष हमने काम लिया । इसी तरह से इनलोगों ने 89-90 में 1721 घंटा 14 मशीनों से काम किया, 90-91 में 2763 घंटा काम लिया और 1991-92 में 4400 घाटा 13 मशीनों से काम लिया। 92-93 में जो काम हम करने जा रहे हैं उसका खुलासा कर देना चाहते हैं। 1992-93 में हमारी कुल चालू योजनाएं 177 हैं जिसमे 81 पुल और 96 पथ बनाना है। इसी प्रकार 92-93 में कुल 65 योजनाओं को पूर्ण करने का कार्यक्रम है जिसमें 33 पुल और 32 पथ का निर्माण करना है, मैं इसको करूंगा। इसी तरह से पथ बनाने के कार्यक्रम में प्रगति लाना है रोड़ों का पक्कीकरण और चौड़ीकररण का काम करूंगा। इस तरह पक्कीकरण और चौड़ीकरण का काम 150 कि०मी० में करूंगा। भागलपुर में गंगा पुल के कार्यक्रम में 63 कूपों में 54 कूपों की प्रगति करना है और कुल 6 हज़ार फीट गलाई करना है। रेवाघाट पुल के सभी 29 कूप, 5 पीयर साफ्ट एवं 2 सुपर स्ट्रकचर का काम पूर्ण करना है। हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, सोनपुर और छपरा में काम करना है। इसके साथ ही भागलपुर पुल बनने पर जो पथों पर लोड बढ़ेगा उसके लिए 20 करोड़ रु० की भागलपुर बाईपास की योजना स्वीकृति एवं निविदा करने की स्थिति में लाना है और इसके लिए हमने योजना तैयार की है। इसमें विश्व बैंक ने ऋण योजना में सहमति दे दी है। भारत सरकार

का परमोशन लेना बाकी है। अध्यक्ष्ज्ञ महोदय, जिन योजनाओं को हमें पूर्ण करना है उसका नाम निम्न प्रकार है:-

1. यारपुर उपरी पुल को चालू करना (मीठापुर ओर से) पटना

2. सिमरिया टंडवा में बरकी नदी पर पुल ।

3. कटिहार कोढ़ा फल्का पथ में तिनपनिया और भरसिया पुल

4. शेखोपुर निमी कोसरा में सकरी पुल

5. राँची डाल्टेनगंज में 108-110 कि०मी० में पुल।

6. कहेंरा - विरौल कुशेशवरस्थान पथ का चौड़ीकरण।

7. बिहार उत्तर प्रदेश सीमा पर छपरा-बलिया पथ में घाघरा नदी के मांझी घाट - पुल के उपगम पथ।

8. चन्दवा- महुआ-मिलान-मकलेसलीगंज पथ सुधार

9. डुमरी पुल से सोनवरसा तक सुदृढ़ीकरण किया जायेगा।

10. दरभंगा- बहेड़ी सिंघिया रोसड़ा पथ का मजबूतीकरण

11. चाईबासा-जयंतगढ़ पथ का चौड़ीकरण

12. चाईवासा- सरायकेला- कान्द्रा पथ का चौड़ीकरण

13. सोन सुता पुल- 1 करोड़ 18 लाख ।

अध्यक्ष महोदय, 92-93 में निम्नांकित कार्य हॉटमिक्स प्लांट से पूरा करने की योजना है।-

1. स्टेशन रोड

2. कंकड़बाग रोड नं०-2

3. आर० के एमेन्स (नालारोड)

4. बारी पथ

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन और सभी माननीय सदस्यों को बतला देना चाहता हूँ कि मैं जो भी रोड बनाऊंगा, हॉट मिक्स प्लांट से, वह संगमरमर की दीवाल से ज्यादा चिकनी होगी।

(इस अवसर पर बी०जे०पी० के माननीय सदस्यगण सदन के वेल में आ गये और कहने लगे कि आदिवासी एरिया छोटानागपुर और संथालपरगना में सड़क का निर्माण नहीं कराया गया है, और सदन से वाकआउट कर गये।)

श्री राम विलास मिश्र :- अध्यक्ष महोदय, सदन में प्रस्तुत मांग और कटौती प्रस्ताव के पक्ष में जिन माननीय सदस्यों ने अपना अमूल्य समय देकर अमूल्य सुझाव प्रस्तुत किया है, हम उनके अमूल्य सुझाव का बड़े आदर और सरकार के साथ ग्रहण करते है और अपने विभाग के यथा सीमित साधानों के अन्तर्गत उसकी पूर्ति करने के लिए मैं प्रयास करूंगा। अध्यक्ष महोदय, कुछ आवश्यक वस्तु जैसे रोजी, शिक्षा स्वास्थ्य और मकान जिन्दगी के लिए अत्यावश्यक है, हमारी सरकार युवा मुख्यमंत्री , श्री लालू

प्रसाद जी के नेतृत्व में रोजी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए तो प्रयास कर ही रही है, मकान के संबंध में भी सतत प्रयत्नशील है। हमको मकान चाहिए सरकारी कार्यालयों के निर्माण के लिए जिस गति से जिला अनुमंडल और प्रखंडों का निर्माण हो रहा है, ऐसी परिस्थिति में जिला में; समाहरणालय अनुमंडल कार्यालय , कारा स्वास्थ्य केन्द्र के लिए भवन तथा कर्मचारियों के लिये आवास चाहिए। इन सबों के लिए और पदाधिकारियों की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए मकान चाहिए लेकिन इसके लिए रुपया चाहिए। जो सीमित साधन है उसके तहत हम निर्माण कर रहे हैं और 90-91 की वार्षिक योजना उदव्यय की स्वीकृत राशि 2025 लाख, फिर 1313 लाख उसमें कटौती कर दी गयी, सिर्फ 62 योजनाओं को पूरा करना था लेकिन कटौती के कारण 25 योजनाएं पूरा नहीं की जा सकी। 91-92 की वार्षिक योजना उदव्य में 2132 लाख की स्वीकृति थी लेकिन कटौती के कारण मात्र 787.68 लाख रुपया ही व्यय किया गया। जिसमें 62 योजनाओं को पूरा करना था मगर कटौती के कारण मात्र 21 योजनाये ही पूरी की जा सकी। 92-93 की वार्षिक योजना की स्वीकृति राशि 2170 लाख रुपये थी जिसमें तत्काल 6 करोड़ रुपये के योजना को ही स्वीकृति के लिए रखा गया जिसमें से सम्प्रति 46 योजनाएं चालू है। जो योजनाएं सम्प्रति भवन निर्माण द्वारा चालू है उसमें दिल्ली में 7 नये द्वितीय बिहार भवना का निर्माण 464 लाख की लागत पर किया जा रहा है। इस वर्ष योजना के निर्माण के लिए द्रुत गति से कार्य चल रहा है इसके बन जाने से दिल्ली में जो हमारे पदाधिकारी, मंत्री और अन्य राजनेतागण जाते हैं तो उन्हें आवास के अभाव में बहुत तकलीफ होती है, सुविधा नहीं मिलती है और राज्य

सरकार को करोड़ों रुपया दूसरे आवासों में रहने से और होटल में जाने से खर्च करना पड़ता है, उसे हम बचा लेंगे। और बड़ी तेजी से प्रथम मंजिल का काम शुरू हो गया है और दूसरे मंजिल का काम चल रहा है । यह महत्वपूर्ण भवन 464 लाख रुपया की लागत से बन रहा है। दूसरे, पटना स्थित कृष्ण मेमोरियल हौल को बातानुकूलित कर रहे हैं। इस में सभी प्रकार के ध्वनि प्रकाश और मंच की व्यवस्था हो रही है। यह बिहार के लिए गौरवमय भवन होगा। बिहार विधान-सभा और विहार विधान परिषद के सामने जो एनेक्सी बन रहा है उसके बन जाने से माननीय सदस्यों को, बिहार विधान सभा और विधान परिषद के कार्यकलापों में बहुत सुविधा मिलेगी जिसके लिए कठिनाई उतपन्न हो रही थी। उसी तरह पटना के बेउर में जेल निर्माणाधीन है मैं कहता हूँ कि अगले साल पूरा हो जायेगा और बांकी पुर से कैदी वहां चले जायेगें बांकीपुर जेल खाली हो जायेगा उस स्थान पर कोई महत्वपूर्ण भवन या कोई अन्य कार्य किया जा सकेगा। इससे कैदियों को भी सुविधा होगीं सीतामढ़ी , गोपालगंज, समस्तीपुर में न्यायालय भवन का निर्माण कर रहे है। 1992 -93 में कृष्ण मेमोरियल हौल, गोपालगंज सिविल कोर्ट, आर० ब्लौक में बीरकुंअर सिंह का कास्य प्रतिमा जो 14 फट ऊंची होगी उसकी स्थापना अगले महीने करने जा रहे है। दुमका प्रमंडलीय मुख्यालय भवन की निर्माण, बिहार विधान-सभा और विधान परिषद एनेकसी भवन, दारोगा राय पथ में 34 में से 72 विधायक आवास करीब करीब पूरा हो चुका है। युवा पीढ़ी को प्रेरणा देने से लिये हमलोग पटना में जगह -जगह जिन जगहों में लोग कूड़ा करकट लगाये रहते थे, पटना के सौंदयीकरण के लिए और आनेवाली पीढ़ी को प्रेरणा देने

के लिए वहां महापुरूषों की प्रतिमाये स्थापित करने जा रहे हैं जिनमें गाँधी मैदान में महात्मा गाँधी की प्रतिमा स्थापित हो चुकी है। श्री जय प्रकाश नारायण, डा० अम्बेदकर, पटेल, डा० राम मनोहर लोहिया की प्रतिमायें स्थापित करेंगें। बिहार विधान सभा प्रागण में श्री कर्पुरी जी की प्रतिमा हमलोग अगले माह स्थापित कर देंगे। इसके साथ वीरकुअंर सिंह के अश्वरोही प्रतिमा आर० ब्लौक गोलंबर पर स्थापित करेंगें । दारोगा राय जी बिरसामुंडा भगवान की प्रतिमा को निर्माण कर रहे हैं। श्री के०वी० सहाय की प्रतिमा का निर्माण हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, नेपाल के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री वी०पी० कोइराला के प्रतिमा के निर्माण के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गयी है शिलान्यास भी हो चुका है। इसी तरह हमलोग अन्य महान पुरूषों की प्रतिमाओं की स्थापना कर रहे हैं। पटना के बाहर जमुई में श्री कृष्ण सिंह जो भूतपूर्व मंत्री थे और श्री त्रिपुरारी प्रसाद सिंह, भूतपूर्व विधान सभा अध्यक्ष की प्रतिमा का निर्माण कर रहे हैं। समस्तीपुर में कर्पूरी जी की प्रतिमा स्थापित करने हेतु प्रतिमा की निर्माण कर रहे हैं। इस तरह से जहाँ -जहाँ महानपुरूषों की कर्मभूमि रही है वहां पर उनलोगों की प्रतिमाये स्थापित करने हेतु प्रतिमाओं का निर्माण करा रहे हैं। 1991-92 में 61 नई योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी। इसमें सिंचाई भवन के पूरब 424 लाख रुपये की लागत से पंचम सचिवालय मधेपुरा जिला में जिला कारा पटना सिटी में न्यायालय भवन, जहानाबाद, जमशेदपुर, अरसिया तथा राँची में समाहरणालय भवन, पूर्णिया में कमीश्नरी भवन, भागलपुर, राँची तथा मुजफ्फरपुर में संयुक्त कार्यालय भवन के एक अतिरिक्त मंजिल गोपालगंज में परिसदन सुपौल में अनुमंडलीय कार्यालय

राजधानी पटना तथा अन्य जिला मुख्यालय में कर्मचारियों के लिए 238 इकाई आवास का निर्माण करेंगे। इस तरह राज्य के प्रशासन को अधिक चुस्त और संवेदनशील बनाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा नये प्रमंडलों जिलों तथा अनुमंडलों का जो सृजन किया है वहां वहां साधन की और राशि की उपलब्धता जैसे -जेसे होगी हम उन जिलों के समाहरणालयों, सबडिविजनल न्यायालाओं और कार्यालयों का निर्माण कर रहे हैं और करेंगे।

श्री रविन्द्र चरण यादवः- अध्यक्ष महोदय, मधेपुरा को जिला बने हुये 11 साल हो गयें उदाकिशनगंज को अनुमंडल बने सालो बीत गये लेकिन वहां आज तक न्यायालय और न्यायाधीश भवन का निर्माण नहीं हुआ है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी से कि मधेपुरा जिला में सत्र न्यायालय भवन अनुमंडल न्यायालय भवन एवं अनुमंडल स्तरीय सभी विभागीय पदाधि कारियों का आवास एवं कार्यालयों का निर्माण जिला अस्पताल, जिला कारा, उदाकिशनगंज में अनुमंडलीय कारा का भवन का निर्माण शीघ्र किया जाये।

श्री राम विलास मिश्र :- अब हमलोग इस दिशा में कार्रवाई कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जो हमारे कर्मचारी बिहार में जो लाखों लाख की संख्या म हैं उनकी सुख -सुविधा के लिये और उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए उन्हें आवास की सुविधा चाहिए। लेकिन पटना में हमारे जितने कर्मचारी है उन्हें हम मकान नहीं दे पाते हैं। क्योंकि यहां पर सिर्फ 3623 मकान है कुल कर्मचारियों और पदाधिकारियों में से 10-12 प्रतिशत लोगों को ही

मकान दे पाते हैं। शेष के लिए भी मकान अतिवाश्यक है उनमें असंतोष वाजिब हैं। वे मकान चाहते हैं कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए लेकिन साधन के अभाव में नहीं दे पाते हैं।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री। आपका जो भाषण लिखित है उसे प्रोसिडिंग का हिस्सा मान लिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय,

मैं मांग सं० 21 एवं 24 के अन्तर्गत 1 अप्रील 1992 से दिनांक्र - 31 मार्च 1993 की अवधि में भवन निर्माण एवं आवास विभाग के कार्यों, निर्माण एवं संधारण के लिए 84,25,62,000 (चौरासी करोड़ पच्चीस लाख बासठ हजार) रुंपये की खर्च की मांग उपस्थापित करने की अनुमति चाहता हूँ।

उक्त राशि के खर्च के व्यय का शीर्षवार विवरण निम्न प्रकार है:-

भाग सं0-२१

क्रमांक	शीर्ष	कार्य का नाम	माँग की राशि (रुपये में)
1.	2059 लोक निर्माण	1. लघु निर्माण	57,75,00
		2. अनुरक्षण एवं मरम्मत	17,02,64,00
		3. साज- सामान	4,50,000
		4. मशीन और उपकरण	42,00,000

वित्तीय कार्य

	5. स्थापना (गैर योजना)	23,00,03,000
	6. उचन्त	60,00,000
	7. अन्य व्यय	1,46,70,000
	गैर योजना-	43,13,62,000
	(योजना स्थापना)	4,60,71,000
		47,/4,33,000 (क)
2. 4050 लोक निर्माण कार्यों पर पूँजीगत परिव्वय-	1. योजना	11,69,92,000
	2. गैर योजना	2,00,000
		11,71,92,000 (ख)

माँग सं०-21 का कुल योग (क + ख)- 59,46,25,000

माँग सं0-२४

1. 2216- आवासन- लघु निर्माण	44,00,000 (क)
2. 4216 आवासन पर पूँजीगत परिव्यय योजना	
अन्य क्षेत्रीय उप योजना जन जाति	3,07,32,000
क्षेत्रीय उप योजना	2,32,05,000

योग - 5,39,37,000 (ख)

योग (क + ख) - 5,83,37,000

3. 6216 आवास के लिए उधार

(केवल आवास विभाग का) 18,96,00,000

मांग सं०-24 का कुल योग- 24,79,37,000

2. भवन निर्माण एवं आवास विभाग द्वारा वर्ष 91-92 में किये गये विशेष कार्यों को आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ:-

(1) प्रशासनिक भवन प्रक्षेत्र के अन्तर्गत 21 योजनाओं के तहत कुल 11 गैर आवासीय इकाईयों तथा 105 आवासीय इकाइयों को पूरा किया गया जिसमें मधेपुरा घाटशिला में न्यायालय भवन, मधेपुरा में रजिस्ट्री भवन, राँची स्थित उच्च न्यायालय भवन का विस्तार कार्य, मधेपूरा मे रजिस्ट्री भवन , रांची स्थित उच्च न्यायालय भवन का विस्तार कार्य, गया तथा राँची में आफिसर्स होस्टल, तथा मुंगेर जिलान्तर्गत चकाई एवं हलसी में सब रजिस्ट्री भवन का कार्य महत्वपूर्ण है।

(11) नवम् वित्त आयोग की स्वीकृत योजनाओं में से 61 (एकसठ) इकाइयों का कार्य पूरा किया गया ।

(111) नई दिल्ली में द्वितीय बिहार भवन का निर्माण कार्य 464 लाख रु० की लागत पर किया जा रहा है। इस वर्ष इस योजना

के निर्माण में महत्वपूर्ण प्रगति की गई । इसके पूरा होने से राज्य के विधायकों, मंत्रियों तथा सरकारी पदाधिकारियों को दिल्ली जाकर राज्य के विकास कार्यों में प्रगति लाने में सुविधा उपलबध होगीं पटना स्थिति श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल का वातानुकूलन, आधुनिक ध्वनि एवं प्रकाश मंच की व्यवस्था शीघ्र ही पुरी की जा सकेगी और यह भवन अब राजधानी के गौरव को बढ़ाएगा। विधान सभा तथा विधान परिषद के लिए दो एनेक्सी भवनों के निर्माण कार्य भी इस वर्ष पूरा करने का लक्ष्य है इससे दोनों सदनों के कार्य कलाप की कुशलता बढ़ेगीं दारोगा राय पथ में विधायकों के लिए आवासीय फ्लैट के निर्माण पूरे हो जाने से माननीय सदस्यों की आवासीय समस्याओं का समाधान हो सकेगा। पटना के बेउर में एक आदर्श केन्द्रीय कारा का निर्माण किया जा रहा है जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी इसे पूरा हो जाने से पटना रेलवे स्टेशन के सामने वाले पुराने बांकीपुर जेल परिसर को खाली कराया जाएगा और इस स्थल का बेहतर उपयोग किया जाएगा । इस योजना में भी इस वर्ष अच्छी प्रगति हुई है। सीतामढ़ी, गोपालगंज तथा समस्तीपुर में 16 कोर्ट वाले न्यायालय भवनों में भी इस वर्ष प्रगति संतोषप्रद रही है।

3. वर्ष 92-93 में जिन महत्वपूर्ण योजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य है उनमें से कुछ निम्नांकित है:-

वित्तीय कार्य

(1) श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल के वातानुकूलन आदि का कार्य।

(2) गोपालगंज में सिविल कोर्ट भवन का निर्माण कार्य।

(3) आर० ब्लौक गोलम्बर में बीर कुंवर सिंह की अश्वारोही मुद्रा वाली कॉस्य की 14 फीट ऊंची मूर्ति का निर्माण।

(4) दुमका में प्रमण्डलीय मुख्यालय भवन का निर्माण।

(5) बिहार विधान सभा में एनेक्सी भवन का निर्माण।

(6) बिहार विधान परिषद में भवन का निर्माण कार्य।

(7) दारोगा राय पथ, पटना में 84 से 72 विधायक आवास का निर्माण।

(8) सीतामढ़ी में सिविल कोर्ट भवन का निर्माण।

4- भावी पीढ़ी को प्रेरणा प्रदान करनेवाले देश के स्वतंत्रता सेनानियों एवं दिवंगत नेताओं की प्रतिमाओं की स्थापना के कार्यक्रम को प्रधानता दी गई है। वर्ष 91-92 में बाबा साहेब भीमराव अम्बेदकर की प्रतिमा की स्थापना 18 जून, 91 को की गई। लौह पुरुष सरदार बल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा की स्थापना भी की जा चुकी है। निकट भविष्य में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, भगवान बिरसा मुण्डा, डाक्टर राम मनोहर लोहिया, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर, स्वर्गीय रामानन्द तिवारी तथा स्वर्गीय कृष्ण बलल्भ सहाय की प्रतिमाओं की राजधानी के प्रमुख्य स्थानों में स्थापित करने का कार्यक्रम है। इसके अतिरिक्त नेपाल के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्व० वी०पी० कोईराला, स्वामी सहजानन्द सरस्वती तथा भारत रत्न एम० विश्वेश्वरैया की प्रतिमाओं

को विभिन्न स्थानों में स्थापित किया जाना है। इसके अलावे देशरत्न मार्ग स्थित सरकारी भवन को स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर स्मारक भवन के रूप में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है।

5- वर्ष 1991-92 में 51 नई योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। उनमें कुछेक महत्वपूर्ण योजनाएं निम्नांकित है:-

1- सिंचाई भवन के पूरब 424 लाख की लागत पर पंचल सचिवालय भवन।

2- मधेपुरा में जिलाकारा।

3- पटना सिटी में न्यायालय भवन।

4- जहानाबाद, जमशेदपुर, अररिया तथा राँची में समहरणालय भवन।

5- पूर्णियां में कमीश्नरी भवन।

6- भागलपुर , राँची तथा मुजफ्फरपुर में संयुक्त कार्यालय भवन पर एक अतिरिक्त मंजिला का निर्माण।

7- गोपालगंज में परिसदन भवन।

8- सुपौल में अनुमंडलीय कार्यालय।

9- राजधानी पटना तथा अन्य जिला मुख्यालायों में कर्मचारियों के लिए 238 इकाई आवास।

10- बेउर केन्द्रीय कारा के अवशेष कार्य।

राज्य के प्रशासन को अधिक चुस्त तथा संवेदनशील बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा नये प्रमंडलों , नये जिलो तथा नये अनुमंडलों का सृजन किया गया है। इनके लिये बहुत सारे कार्यालय भवन, न्यायालय तथा कारा भवना, परिसदन भवन एवं विभिन्न प्रकार के आवासीय भवनों की आवश्यकता है। उपलब्ध वित्तीय साधनों के तहत विभिन्न चरणों में इनका निर्माण कार्य पूरा कराया जायेगा।

6- विभाग के अन्तर्गत सरकारी भवनों का रख-रखाव कार्य भी भवन निर्माण एवं आवास विभाग द्वारा कराया जाता है। वर्तमान में लगभग 78 लाख वर्गमीटर से भी अधिक निर्मित भवनों के रख-रखाव की जिम्मेवारी इस विभाग की है, इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास विभाग से पूर्व में हस्तान्तरित लगभग 18 लाख वर्गमीटर तथा पुलिस भवन निर्माण निगम से हस्तान्तरित होने वाले भवनों का रख-रखाव भी इसी विभाग द्वारा किया जाता है। इस तरह लगभग एक करोड़ वर्गमीटर क्षेत्रफल वाले भवनों के रख -रखाव के लिये पचास करोड़ रुपये से भी अधिक राशि की आवश्यकता है। इन भवनों से आधे से अधिक भवना चालीस वर्ष या उससे भी अधिक पुराने हैं। इनके उचित रख-रखाव के लिये जितनी राशि की आवश्यकता है वह राज्य की वित्तीय संभावना तथा निर्धारित प्राथमिकताओं के परिपेक्ष में तत्काल संभव नहीं हो पा रहा है और लगभग बीस करोड़ रु० ही उपलब्ध हो पाता है। इस कारण हम चाहकर भी भवनों का रख-रखाव संतोषप्रद ढंग से नहीं कर पा रहे है।

7- राजधानी में सरकारी भवनों के परिसर के सौंदर्यीकरण तथा पर्यावरण में

अपेक्षित विकास के लिये उद्यान प्रमंडल संगठन कार्यरत है। इस वर्ष देशरत्न पार्क में पौघें के सरंक्षण तथा उनके विकास हेतु एक ग्रीन हाउस का उद्घाटन किया गया। इस भवना में पोधों के लिये अनुकूल ताप, आर्द्रता तथा प्रकाश का वातावरण तैयार किया गया है जिसमें वैसे पोधों को रखा जाता है जो अधिक धूप तथा वर्षा में नष्ट हो जाते हैं? इसमें आधुनिक वैज्ञानिक ढंग से पौधों का प्रजनन तथा टीशू कल्चर किया जाता है और पौधों का सिडलिंग तैयार किया जाता है। इस योजना पर लगभग 8.5 लाख रुपया व्यय हुआ है।

आवास विभाग के निमंत्राधीन बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा विभिन्न आय वर्ग की जनता के लिए आवासीय योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है। इच्छुक आवेदकों के बीच विकासित भू-खण्डों एवं निर्मित आवासों के आवंटन के अलावे अल्प आय वर्गीय जनता के बीच पूरे राज्य में अधिकतम 14,500/- रुपया प्रति व्यक्ति की दर से ऋण के रूप में भी आवास निर्माण हेतु स्वीकृत किये जाते हैं। आवासीय योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 92-93 के बजट में कुल 18 करोड़, 96 लाख, रुपये का उपबंध किया गया है जिसका ब्योरा निम्न प्रकार है:-

(क) अन्य क्षेत्रीय उपयोजना के अधीन बिहार राज्य

आवास बोर्ड को ऋण- 690 लाख रुपये।

(ख) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना

अन्य क्षेत्रीय उप योजना के अधीन बिहार राज्य आवास

बोर्ड को ऋण - 156 लाख रुपये।

(ग) ग्रामीण आवास सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों को उधार - 628 लाख रुपये।

(घ) आवास पर्षदों को उधार अन्य उधार- 35 लाख रुपये।

(च) अल्प आय वर्गीय गृह निर्माण योजना के अधीन व्यक्तियों को ऋण वितरण हेतु- 50 लाख रुपये।

(छ) जन जाति क्षेत्रीय उप योजना के अधीन बिहार राज्य आवास बोर्ड को ऋण - 140 लाख रुपये।

(ज) अनुसूचित जातियो के लिए विशेष अंगीभुत योजना के अधीन जन जाति क्षेत्रीय उप योजना के तहत बिहार राज्य आवास बोर्ड को ऋण - 40 लाख रुपये।

(झ) ग्रामीण विकास के लिए बिहार राज्य आवास बोर्ड को ऋण - 157 लाख रुपये

कुल 1896 लाख रुपये

इस प्रकार मांग संख्या 24 के अधीन कुल 1896 लाख रुपये का उपबंध आवास विभाग का है जिसका विवरण ऊपर दिया गया है। गैर योजना मद

के लिए वित्त विभाग सक्षम है।

श्री राम विलास मिश्र :- अब मैं राजो वाबू से निवेदन करता हूँ कि अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें।

अध्यक्ष :- राजो बाबू क्या अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेना चाहते है?

(इस अवसर पर श्री अजित सरकार सदन के वेज में चले आये)

अध्यक्ष :- अब डिमांडपुट हो गया है और पांच बजे कोई प्यावंट ऑफ आर्डर नहीं होता है। आप अपने स्थान पर चले जायें।

(मा० स०, श्री अजित सरकार अपने स्थान पर चले गये।)

श्री राजो सिंह :- ये सामाजिक न्याय की सरकार है। इलियास साहब बीच में ही इन्टरवेज किये और मिश्रा जी ने सरकार की तरफ से उत्तर दिया इस बेचारे का क्या दोष था? आवास मंत्री का क्या दोष था? वह हमलोगों के वर्ग से आते है

इसलिए माईनोरीटी के लोग हैं इनको मौका नहीं दिया गया बोलने के लिए अध्यक्ष महोदय, माईनोरीटी के लोगों को उस दल में बोलने का मौका नहीं दिया गया। दूसरी बात, कि पलामू में कमीशनरी भवन का निर्माण कर रहे हैं लेकिन मुंगेर में आपने कमीशनरी डिकेलेअर कर दिया, लेकिन उसके भवन निर्माण के बारे में कुछ नहीं कहा। नम्बर-3, आप एम०एल०ए० फ्लैट में चले जायें और उसकी दुर्गति देखिये। पानी निकलने की जगह नहीं है। सारा पानी डेरा में जा रहा है। उसके बारे में आपके तरफ से कुछ

नहीं कहा गया। आपका सबसे बड़ा कौलनी है हनुमाननगर जहां श्री इलियास साहब का भी द्वार है, पूछ लीजिये उनसे कि वहां के सड़कों की क्या हालत है?

श्री इलियास हुसैन :- भाड़ा के घर में रहते थे। वहां हमारा घर नहीं है।

श्री राजो सिंह :- वहीं घर हो जाता है जहां रहते है। वहां की सड़क आधा बनी हुई और बीच में खाली है। उसके बारे में कुछ नहीं कहा। इलियास साहब आप बहुत हमारे शंखी आवाज में कुछ तो बोलें कि भविष्य में करेंगे। क्या कीजियेगा आप भगवान ही ज़ाने।

नहीं कर सकियेगा, नहीं करियेगा, नहीं करियेगा। राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ 174 वोट आया। आप नहीं करियेगा। देख लीजियेगा 21 को जो वोट होगा इसमें पता चल जायेगा। इसलिये कटौती प्रस्ताव को वापस लेने का प्रश्न नहीं उठता है।

अध्यक्ष :- प्रश्नयह है-

क़ि "इस शीर्षक की मांग 10 रुपये से घटायी जाय"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष :- अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूँ।

प्रश्न यह है-

निदेवन

कि "लोक निर्माण के संबंध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर के दौरान में जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिये 59,46,25,000 (उनसठ करोड़, छियालीस लाख, पचीस हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मांग स्वीकृत हुई।

निवेदनः

अध्यक्ष :- कुल मान्य निवेदनों की संख्या-23 है, यदि सभा की सहमति हो तो इसे संबंधित विभागों में भेज दिये जाये।

(सभा की सहमति संबंधित विभागों को भेजने की हुई।)

सभा की बैठक सोमवार, दिनांक- 20 जुलाई, 1992 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिये स्थगित की जाती है

पटना :

दिनांक- 17 जुलाई, 1992 ई०।

युगल किशोर प्रसाद

सचिव

बिहार विधान सभा

खण्ड-8 संख्या-16

दैनिक- निबंध

शुक्रवार, दिनांक- 17 जुलाई, 1992 ई०।

प्रारम्भिक चर्चायें:

अध्यक्ष महोदय, के आसन ग्रहण करते ही सर्वश्री राम जतन सिन्हा, रघुवंश प्रसाद सिंह, डा० मदन प्रसाद जायसवाल, एवं श्री राजीव प्रताप सिंह, माननीय सदस्यों ने विभिन्न विषयों पर एक स्वर से चर्चायें की।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ने उन्हें इन विषयों पर शून्यकाल में बोलने का सुझाव दिया।

कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनायें:

सर्वश्री राम जतन सिन्हा, सुशील कुमार मोदी, प्रेम कुमार, बृज मोहन सिंह एवं श्री अजीत सरकार ने विभिन्न विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना देते हुए सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ने नियमानुसार सभी स्थगन प्रस्ताव को अमान्य घोषित किया।

शून्यकाल :

सर्वश्री रणवीर यादव, दिनेश चन्द्र यादव, भगवान सिंह एवं श्री कुमुद रंजन झा, माननीय सदस्यों ने जनहित के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की एवं इसके निदान हेतु सरकार से मांग की।

वित्तीय कार्यः- वर्ष १९९२-९३ के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर मतदानः "लोक निर्माण"

प्रभारी **भवन निर्माण एवं** आवास मंत्री श्री राम विलास मिश्र ने "लोक निर्माण के संबंध में मांग पेश की।"

इस मांग के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री राजो सिंह ने राज्य सरकार की लोक निर्माण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

उपर्युक्त मांग एवं इसके अन्तर्गत कटौती प्रस्ताव पर हुए वाद-विवाद में निम्नांकित सभा सदस्यों ने भाग लिया,

(1) श्री ब्रज किशोर सिंह,

(2) श्री अशोक कुमार सिंह,

(3) श्री यमुना सिंह,

(4) श्री अर्जुन सिंह,

(5) श्री कृष्ण बल्लभ प्रसाद,

(6) श्री अजीत सरकार,

(7) श्री भगवान सिंह,

(8) श्री ओम प्रकाश लाल,

(9) श्री राम जतन सिन्हा,

(10) श्री हरिलाल प्रसाद सिन्हा,

(11) श्री राम विचार राय,

(12) श्री सुरेश प्रसाद यादव,

(13) श्री राम नरेश सिंह,

(14) श्री रणवीर यादव,

(15) डा० शकील अहमद,

(16) श्री कृष्ण देव सिंह यादव,

(17) श्री रघुवंश प्रसाद सिंह और

(18) श्री रवीन्द्र चरण यादव,

प्रभारी मंत्री भवन निर्माण एवं आवास विभाग, श्री राम विलास मिश्र के सरकारी उत्तर के उपरान्त वाद-विवाद समाप्त हुआ।

उल्लेखनीय है कि पथ निर्माण मंत्री श्री इलियास हुसैन ने भी सरकार की ओर से संक्षिप्त उत्तर दिया ।

तदुपरान्त माननीय सदस्य श्री राजो सिंह द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रसताव सभा द्वारा अस्वीकृत हुआ और "लोक निर्माण" संबंधी मांग सभा द्वारा स्वीकृत हुई।

उल्लेखनीय है कि सरकारी उत्तर के क्रम में भा०ज०पा० के माननीय सदस्यों ने सदन का त्याग किया।

निवेदन :

अध्यक्ष महोदय, ने सदन को सूचित किया कि आज के लिए स्वीकृत कुल 23 निवेदनों को सभा की सहमति से आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित विभाग में भेज दिया जायेगां

बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-295 एवं 296 के अनुसरण में नव बिहार प्रिंटिंग प्रेस, बोरिंग रोड, पटना-1 द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।